१

जनसंचार

इकाई की रूपरेखा :

१.० उद्देश्य
१.१ प्रस्तावना
१.२ जनसंचार का अर्थ
१.३ जनसंचार की परिभाषा
१.४ जनसंचार का स्वरूप
१.५ सारांश
१.६ बोध प्रश्न
१.७ उपयोगी पुस्तकें

१.० उद्देश्य

इस इकाई में हम आपको जनसंचार का परिचय देंगे, इसे पढ़ने के बाद आप -

- जनसंचार का अर्थ जान सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा दी हुई जनसंचार की परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे।
- जनसंचार के स्वरूप का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे।

१.१ प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य के द्वितीय वर्ष के 'जनसंचार माध्यम' पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई में हम जनसंचार शब्द का अर्थ जानेंगे। इसके अन्तर्गत जनसंचार शब्द की व्युत्पति, व्याकरण की दृष्टि से जनसंचार का अर्थ, अंग्रेजी भाषा में जनसंचार का अर्थ जानेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों के अनुसार जनसंचार की परिभाषा का अध्ययन करेंगे और सभी विद्वानों की परिभाषा में समानता का विश्लेषण करेंगे। साथ ही जनसंचार के स्वरूप के अध्ययन के दौरान जनसंचार की आवश्यकता, उपयोगिता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके प्रयोग से किसप्रकार मनुष्य जीवन प्रगत और प्रभावशाली समृद्ध बना है, यह जानेंगे।

१.२ जनसंचार का अर्थ

संचार का व्यापक रूप ही जनसंचार है। जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक स्तर या बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाती है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक किसी अर्थपूर्ण

munotes.in

सन्देश का सम्प्रेषण संचार है और उस सन्देश का बड़ी संख्या तक प्रसार कर देना जनसंचार है। सन्देश को एक ही समय पर, एक साथ अनेक स्थानों पर तथा विजातीय अथवा विभिन्न बर्गों के लोगों (Heterogeneous groups) तक पहुँचा पाना जनसंचार की एक बड़ी विशेषता है।

संचार प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में मानव के अस्तित्व के साथ ही जन्मा है। संचार के कारण ही मानव समाज अस्तित्व में आया। संचार के बिना संचार की कल्पना करना बेकार है क्योंकि यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। संचार मानव समाज में विविध रूपों में विद्यमान है। संचार वास्तव में जीवन का यथार्थ है। वह यह प्रक्रिया है जो हमारी अभिव्यक्ति का जरिया है।

समाज में संचार का वही स्थान है, जो शरीर के लिए भोजन का। मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरी तरह से संचार प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, यह मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता और निखारता है। कुछ विद्वान अनुभवों को बाँटने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। वास्तव में इस प्रक्रिया से मानव सम्बधों की नींव तैयार होती है। जनसाधारण तक सन्देश पहुँचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार एक औपचारिक संचार कला है। जनसंचार शब्द का प्रयोग पहली बार हर्बर्ट ब्लूमर ने सन् १९३९ में जनसमूह के लिए किया था। तब जनसमूह शब्द का प्रयोग जनता के एक विशाल समूह के लिए किया जाता था।

जनसंचार शब्द दो शब्दों के योग से बना है - जन + संचार। संचार संस्कृत के 'चर' धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना। हमारे यहाँ चलना, दौड़ना, आगे बढ़ना, व्यापक होना आदि शब्द संचार के ही समान अर्थ है। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने है या फैलाने है तो, यही संचार कहलाता है। विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है।

संचार एक तकनीकी शब्द है जो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन (Communication) का हिन्दी रूपान्तर है। कम्युनिकेशन एक लॅटिन भाषा के कम्युनिस (Communis) शब्द से बना है, जिसका अर्थ सामाजीकरण, बाँटना, ग्रहण करना, प्रदान करना और संचार करना है। इस प्रकार संचार भावों व विचारों को बाँटने एवं आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संचार एक ऐसा प्रयास है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों मनोवृत्तियों में सहभागी होता है। वे समस्त विधियाँ संचार है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है।

जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है - जन + संचार जो अंग्रेजी के शब्द मास कम्युनिकेशन (Mass Communication) का हिन्दी रूपांतर है। मास का अर्थ बहुजन (लोक-जन) से है जबकि कम्युनिकेशन का तात्पर्य संचार से माना जाता है। इस तरह जनसंचार का अर्थ होता है - जो बहुजन अर्थात जन-जन में संचरण करें अथवा जो जन-जन में यानी अधिसंख्य लोगों में किसी माध्यम विशेष से संचारित अथवा प्रसारित हो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार वह संचार है जिसमें सन्देश, सूचना विस्तृत क्षेत्र में बिखरे लोगों तक जनसंचार माध्यमों (समाचार पत्र, रेडिओ, टेलिविजन) के द्वारा पहुँचता है।

munotes.in

१.३ जनसंचार की परिभाषा

अनेक विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषाएँ दी है जिसमे निम्नलिखित प्रमुख है -

१) एडविन ऐमरी (Edwin Emary) के मतानुसार - जनसंचार एक से दूसरे व्यक्ति के खयालातों तथा दृष्टिकोणों को निर्माण करने की एक कला है।

२) पीटर लिटिल (Peter Little) के शब्दों में जनसंचार वह प्रक्रिया है जिससे सूचनाएँ व्यक्तियों और संग्रहणो के मध्य वार्तालाप होती है इसलिए कि एक समझदारी परिणाम का जिम्मा होती है।

३) डी.एस. मेहता (D.S. Mehta) के अनुसार - जनसंचार का तात्पर्य सूचनाओं का खयालातों तथा मनोरंजन का आदान-प्रदान है जो रेडियो, टी.वी., प्रेस तथा फिल्म के द्वारा संचारित होता है।

४) प्रो. जार्ज ए. मिलर का कहना है कि जनसंचार का अर्थ सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुँचाना है।

५) एश्ले मोटंग तथा फ्लोएड मैटसन के मतानुसार वह असंख्य ढंग जिनका मानवता से सम्बन्ध रखा जा सकता है केवल शब्दों या संगीत चिन्हों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन, शारीरिक मुद्रा या पक्षीयों के परों से सभी की आँखों तथा कानों तक सन्देश पहुँचाना ही जनसंचार कहलाता है।

६) जोसेफ डिविटो ने कहा है जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशिन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोनों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है।

७) डॉ. अर्जुन तिवारी के शब्दों में - किसी तथ्य सूचना, ज्ञान, विचार और मनोरंजन को व्यापक ढंग से जन सामान्य तक पहुँचाने की प्रक्रिया जनसंचार है।

८) चन्द्रकुमार का मानना है कि संचार और यातायात के अत्यन्त विकसित साधनोवाले आज के युग में जनसंचार माध्यम भूमण्डल की विस्तृत दुनिया के देशों को जोड़ने और प्रभावित करनेवाली बहुत बड़ी शक्ति है।

९) प्रो. हरिमोहन के अनुसार जब हम किसी भाव या विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाते है और यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है, तो इसे जनसंचार कहते है।

हमारी दृष्टि से किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार और मनोरंजन को व्यापक ढंग से जनसामान्य तक पहुँचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। समान लक्ष्य की प्राप्ति तथा पारस्परिक मेल-जोल हेतु इसकी अपरिहार्यता या महता सर्व विदित है। जनसंचार एक सहज प्रवृति है, संचार ही जीवन है, अर्थात संचार के बिना जीवन की कोई गति नहीं है। आधुनिक जनजीवन और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का ताना-बाना जनसंचार साधनों द्वारा ही सुव्यवस्थित है। जनसंचार ही जनता, समाज, राष्ट्र के सजग प्रहरी है। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का माध्यम भी है। संकीर्ण को उध्दार, असभ्य को सभ्य, नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व क्षमता संचार में निहित है। इसके बिना मानव गरिमा की कल्पना नहीं हो सकती इसलिए कहा जाता है कि संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण साधन है।

munotes.in

१.४ जनसंचार का स्वरूप

जनसंचार मनुष्य जीवन में परिवर्तन लानेवाला सबसे प्रभावशाली सहज और महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है। सूचना और विचार के सम्प्रेषण से मानव को प्रभावित करने की अपूर्व क्षमता के कारण आज के जनसंचार माध्यम जिस तेजी और मजबूती के साथ लोकमत बनाने या बदलने की क्षमता रखते है वैसा सामाजिक क्षेत्र का कोई (दूसरा) और उपकरण आज के दौर में नहीं है। संचार और यातायात के अत्यन्त विकसित साधनोवाले आज के युग में जनसंचार माध्यम भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनियाभर के देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और प्रभावित करनेवाली सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण ताकत है। जनसंचार के विकास ने विश्व-गाँव की कल्पना को साकार कर दिखाया है। दुरस्थ देशों के नागरिक दूर रहकर भी एक-दूसरे से बहुत समीप आ गये है और वह एक-दूसरे की संस्कृति से भी भली प्रकार परिचित हो सके है।

जनसंचार के विकास ने राष्ट्र, समाज, धर्म, शिक्षा तथा जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिला है तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सफलता मिली है। सांस्कृतिक धरोहर की सूरक्षा करने, नागरिकों में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जागरुकता पैदा करने, जनमत निर्माण करने तथा शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने में जनसंचार का बहुत बडा योगदान रहा है। जनसंचार के साधनों के द्वारा ही वर्तमान में जन सामान्य की भाषा का विकास करने, सामान्य संस्कृति की स्थापना व सामाजिक परिवर्तन की दिशा में दोनों का गुरुत्तर कार्य जनसंचार के माध्यमों से ही संभव हो सका है। निःसंदेह आज मानव जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो सूचना सहजता से जन-जन तक प्रेषित की जाती है उन सूचनाओं का प्रभाव जनता पर बहुत जल्दी और प्रभावपूर्ण तथा सहज हो जाता है। जिसतरह ठहरे हुए पानी में कंकड या पत्थर फेंक देने से लहर उत्पन्न होती है उसी प्रकार जन-जन के लिए प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका जनसंचार अदा करता है।

भारत में जनसंचार की अवधारणा काफी पुरानी है। भारतीय पौराणिक साहित्य में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते है। श्री. पी. एन. महन ने भारत की जनसंचार व्यवस्था को महर्षि नारद तथा संजय जैसे चरित्रों से जोड़कर मौर्य वंश तथा मध्यकालीन भारत के संचार व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। जनसंचार की आवश्यकताओं के विकास के साथ ही जनसंचार के स्वरूप का भी विकास होता गया। जैसे-जैसे मनुष्य ने विकास किया, वैसे-वैसे जनसंचार के स्वरूप में परिवर्तन होते गये। सामान्य वार्तालाप और पत्र से लेकर समाचार पत्रो, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल, कम्पुटर, इन्टरनेट, उपग्रह आदि के द्वारा जनसंचार की प्रक्रिया सम्पन्न हो रही है। रूप की दृष्टि से जनसंचार के दो भेद बनते है -

अ) परम्परागत जनसंचार और (Traditional Communication)
ब) आधुनिक जनसंचार (Modern Communication)

अ) परम्परागत जनसंचार (Traditional Communication)

परम्परागत जनसंचार का अर्थ है जिसका उपयोग मानव समाज में प्राचीन काल से परम्परागत रुप में करता आया है। इसके अंतर्गत लोकगीत, लोकनाट्य, लोकनृत्य, वार्ता, तमाशा, भवाई, नौटंकी, कठपुतली, ख्याता, जत्रा, प्रभात फेरी, स्वॉग, कथा-गायन आदि का समावेश होता है। सम्पर्क के लिए सुगम, सहज, सस्ते होने के कारण लोगों में यह अधिक प्रिय हैं। इसमे सन्देशों

का सहजता से आदान-प्रदान होता है तथा लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इनकी विषयवस्तु रोचक, मार्मिक एवं प्रभावी होती है तथा इनका प्रस्तुतीकरण रोचक, आकर्षक एवं व्यन्जक होने के कारण लोगों के लिए सहज ग्राह्य होती है। इसमें लचिलापण और सादगी होती है। आम लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित करने की अपार क्षमता इनमें होती है। भजन, कीर्तन, स्वाँग, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तमाशा, शाहिरी, पंडवानी जैसी अनेक लोककलाएँ आज भी देश में प्रचलित है। जो उत्सव, समारोह, कृषिकार्य, ऋतुओं के उल्लास, मांगल्यपर्व के समय प्रस्तुत होती है। विशेष समूह की सामूहिक अभिव्यक्ति इनका क्षेत्र है। इसमें मनोरंजन के साथ शिक्षा का भाव अधिक होता है, सूचना या सन्देश का कम। आज कल स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभागों द्वारा पारंपरिक माध्यमों द्वारा अपनी योजनाएँ प्रदर्शित कर लोगों का अच्छा खासा प्रबोधन किया जा रहा है। सच तो यह है कि पारंपरिक जनसंचार लोक संस्कृति की देन है। ये सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति की भिन्नता और भौगोलिक सीमाओं के रहते हुए भी जनसंचार का सशक्त एवं सक्षम माध्यम है।

पारंपरिक जनसंचार की विशेषताएँ :

डॉ. श्याम परमार एवं एच. के. रंगनाथ ने पारम्परिक जनसंचार की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है -

१) यह स्थानिय एवं बेहद करीबी है और देश के हर क्षेत्र के जन समूह के साथ एकदम तालमेल बना लेते हैं।

२) इनका प्राथमिक सम्बन्ध भावनाओं से होता है, ना कि बुद्धिमत्ता से और इनमे प्रेरक संचार तुरन्त प्रतिक्रिया की ज्यादा सम्भावनाएँ होती है।

३) यह एक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं न कि किसी व्यक्ति विशेष या सार्वजनिक उद्योग से। इनकी गुणवत्ता तथा मात्रा पर नियंत्रण के लिए कोई संगठित संस्था, व्यवस्था या व्यक्ति नहीं है।

४) पारम्परिक जनसंचार अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से ग्रहण किया जा सकता है।

५) इनमें जनता की भाषा, मुहावरों एवं संकेतो का प्रयोग होता है। इसके कारण इनमें अधिक भागिदारी मिलती है और ये सामुदायिक अनुष्ठानों के रूप में आयोजित होते हैं।

ब) आधुनिक जनसंचार (Modern Communication)

आधुनिक जनसंचार वैज्ञानिक प्रगति और नयी तकनिक की देन है। वर्तमान समय में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति ने विश्व को एक गाँव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आज लाखों किलोमीटर दूर रहनेवाले विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय और भाषाओं के लोग एक दूसरे के साथ सूचना, सन्देश या भाव का संचार करने में समर्थ हो गये हैं। इस तरह प्रौद्योगिकी क्रान्ति ने आधुनिक जनसंचार को जन्म दिया है।

औद्योगिक क्रान्ति ने विश्व के जीवन-परिदृश्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। समाज, राजनीति तथा आर्थिक विकास को उसने नई दिशाएँ और गति प्रदान की है। विकास के विविध क्षेत्रों की तरह जनसंचार के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास हुआ है। आज की दुनिया सूचना - विस्फोट के युग में जी रही है। सूचना क्रान्ति ने जीवन के ताने-बाने को बदल दिया है। इसकी नित्य नूतनता और तीव्रगामिता जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्रुत परिवर्तन ला रही है। आज नवीनतम और अधिकतम सूचना-समृद्ध देश ही सर्वाधिक

विकसित देश माना जाता है। सूचना क्रान्ति के मेरुदण्ड आधुनिक जनसंचार माध्यम है, जो एक सन्देश को एक साथ बहुसंख्य लोगों तक पहुँचाते हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यम अपना सन्देश कुछ श्रव्य, कुछ शब्द को मुद्रित रूप प्रदान करके लोगों तक पहुँचाते हैं तो कुछ दृश्य एवं श्रव्य दोनों साधनों का उपयोग करते हैं। इस आधार पर आधुनिक जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण इसप्रकार किया जाता है।

आधुनिक जनसंचार माध्यम

- मुद्रित माध्यम
  - समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, जर्नल्स, पोस्टर, पुस्तके, पॅम्पलेट, बुकलेट
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
  - केवल श्रव्य माध्यम
    - रेडियो, ऑडियो कैसेट
  - श्रव्य एवं दृश्य माध्यम
    - सिनेमा, दूरदर्शन व्हिडियो कैसेट
- नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
  - उपग्रह, संगणक, इन्टरनेट, ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-गवरनेस आदि।

जनसंचार के तत्व :

जनसंचार एक ऐसी कला है, जिसके सूचना, विचारों, दृष्टिकोणों का व्यन्जक एवं रंजक आदान-प्रदान होता है। जनसंचार का उद्देश्य जानकारी या विचारों को समाज के उन तमाम लोगों तक पहुँचाना है, जो इससे सम्बन्ध रखते हैं अथवा जिनके लिए यह जानकारी पहुँचाना जरूरी है, ताकि सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो जाए, उससे लाभ उठा सके। स्पष्ट है कि जनसंचार की प्रक्रिया आदमी द्वारा समूह को सूचना देना एवं सन्देश का प्रसारण जो आदमी-आदमी, आदमी -समूह तथा समूह-समूह में सम्पर्क के लिए प्रयुक्त होती है। जनसंचार को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य माना जाता है -

१) **पूर्णता :** जनसंचार में जानकारी या सूचना का अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होना आवश्यक है। यदि सूचना या जानकारी पूर्ण नहीं होगी तो उसे स्वीकार करने में कठिनाई होती है। ऐसे में सही जानकारी श्रोताओं, पाठकों या दर्शको तक नहीं पहुँच सकती है।

२) **स्पष्टता :** जनसंचार में सूचना, सन्देश के लिए विचारों में स्पष्टता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की शंका या संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी अस्पष्टता के चलते सूचना, संदेश या जानकारी भ्रामक बन जाती है।

३) **संक्षिप्तता :** जनसंचार में सूचनाओं या सन्देश का संक्षिप्त होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यदि सूचना या जानकारी संक्षिप्त होती है तो वह पाठकों को अधिक समय तक याद रहती है तथा उसका सही उपयोग होता है।

munotes.in

४) निरंतरता : जनसंचार में सूचना, सन्देश या जानकारी को बार-बार दुहराया जाता है। परिणाम स्वरूप श्रोता, दर्शक या पाठक पर उसका गहरा प्रभाव पडता है। उद्देश्य में सफलता मिलती है।

५) उद्देश्यपूर्ण : जनसंचार में सूचना या सन्देश समूह विशेष कल्याण से सम्बन्धित तथा सोद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। क्योंकि जनसमूह का मनोविज्ञान ऐसा होता है कि वह उन्हीं चीजों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिलचस्पी लेता है, जिसमें उसका लाभ सम्बन्धित होता है।

६) रोचकता : जनसंचार में सूचना, सन्देश अथवा जानकारी का प्रस्तुतीकरण रोचक, आकर्षक, सरल भाषा में एवं सुबोध शैली में होना चाहिए, जिससे उनमें रोचकता बनी रहती है।

७) जागरूकता : जनसंचार से सम्बन्धित सन्देश, सूचना या जानकारी देनेवाले व्यक्ति को जिसके लिए यह सन्देश या जानकारी दी जा रही है उस जनसमूह की प्रतिक्रिया के प्रति जागरुक एवं सजग रहना आवश्यक है।

८) आधुनिकता : वर्तमान जीवन विविध ढंगी, कलात्मक एवं परिसूचना या सन्देश में आधुनिकता का होना अनिवार्य है। नया तकनीक, नई शैली एवं नई-नई शब्दावली आधुनिकता से युक्त होती है, इसका प्रयोग आवश्यक है।

उपरोक्त तत्वों के प्रयोग से जनसंचार अत्यन्त प्रभावशाली होता है, जो समूह के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित कर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है तथा जन समूह के कल्याण के लिए अग्रेसित होता है।

जनसंचार की विशेषताएँ :

जनसंचार में माध्यम (Media) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया द्वारा व्यापक रूप में और अनेक प्रकार से सूचनाएँ तथा सन्देश भेजे जाते हैं। उन सन्देशों को बोधगम्य, संप्रेषणीय, कलात्मक, रोचक तथा आधुनिकता के साथ भेजा जाता है। जनसंचार की कुछ विशेषताएँ होती है, जो इसप्रकार है -

१) सन्देश या सूचना का सार्वजनिक सम्प्रेषण होता है।

२) इसमें गोपनीयता सम्भव नहीं है।

३) जनसंचार में संचारक किसी माध्यम का उपयोग कर विशाल और विषय प्रकृति के समुदाय तक अपना सन्देश प्रेषित करता है।

४) मीडिया इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रोता का चुनाव करता है। जैसे - शिक्षितों के लिए समाचार पत्र।

५) श्रोता (प्रापक) अपनी आवश्यकता के अनुसार माध्यम का चुनाव करता है। जैसे अशिक्षितों के लिए रेडियो, दूरदर्शन या सिनेमा।

६) इसमें सन्देश का सम्प्रेषण समाज के प्रति जिम्मेदार लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे पोलियो की खुराक - अमिताभ बच्चन।

७) अधिकतर एक तरफा संचार होता है।

८) प्रतिपुष्टि (Feed-back) अप्रत्यक्ष तथा देर से होती है।

९) कभी-कभी सम्प्रेषण में बाधा आ जाती है।

१.५ सारांश

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जनसंचार की अवधारणा वस्तुतः आधुनिक युग की देन है। वर्तमान समय में इसका चरित्र सूचना, प्रेरण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार एवं मनोरंजन करना है। आज के युग में राजनीतिक शक्ति, अर्थ, शिक्षा इत्यादि का सम्प्रेषण जनसंचार पर आधारित है। जनसंचार और समाज में गहरा सम्बन्ध तथा निकटता है। इससे जन सामान्य की रूचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा समाज की मनोदशा, विचार, संस्कृति एवं जीवन दशाएँ नियंत्रित तथा निर्देशित हो जाती है। इसके द्वारा व्यक्तियों के समाजीकरण की प्रकिया चलती रहती है, ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी सूचना अथवा सन्देश जनसंचार माध्यमों द्वारा संचारित किए जाते हैं, जो लोगों के लिए जीवनोपयोगी होती है।

१.६ बोध प्रश्न

- जनसंचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
- जनसंचार की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
- जनसंचार की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए।
- जनसंचार का अर्थ बताते हए जनसंचार के स्वरूप एवं उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

१.७ उपयोगी पुस्तके

१) आधुनिक जनसंचार और हिन्दी - प्रो. हरिमोहन
२) संचार माध्यम लेखन - डॉ. गौरीशंकर रैणा
३) संचार माध्यमों में हिन्दी - डॉ. शैलजा पाटील
४) जनसंचार माध्यमों का सामाजिक परिचय - जावरी मल्ल पारख
५) जनसंचार माध्यम - हरीश हरोड़ा
६) जनसंचार विविध आयाम - डॉ. बृजमोहन गुप्त
७) जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता सर्वांग - डॉ. जितेन्द्र वत्स / डॉ. किरण बाला
८) जनसंचार और मीडिया लेखन - डॉ. दत्तात्रय मुरूमकर
९) भाषा के विविध रूप और संचार माध्यम - डॉ. शर्मा, प्रा. गोरे, प्रा. धुमाल

❖❖❖❖

२

जनसंचार माध्यमों का विकास एवं उपयोगिता

इकाई की रूपरेखा :

२.० उद्देश्य

२.१ प्रस्तावना

२.२ समाचार पत्र का विकास

२.३ समाचार पत्र की उपयोगिता

२.४ रेडियो का विकास

२.५ रेडियो की उपयोगिता

२.६ दूरदर्शन का विकास

२.७ दूरदर्शन की उपयोगिता

२.८ सिनेमा का विकास

२.९ सिनेमा की उपयोगिता

२.१० इंटरनेट का विकास

२.११ इंटरनेट की उपयोगिता

२.१२ मोबाइल का विकास

२.१३ मोबाइल की उपयोगिता

२.१४ सारांश

२.१५ बोध प्रश्न

२.१६ उपयोगी पुस्तके

२.० उद्देश्य

इस इकाई में हम जनसंचार माध्यमों का विकास उनकी उपयोगिता के बारे में बतायेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप -

- समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट एवं मोबाइल जनसंचार माध्यमों का विकास एवं जनमानस में उसकी उपयोगिता व महत्व किस प्रकार है यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

- उपर्युक्त जनसंचार माध्यमों का विकास कब हुआ। उनकी शुरूआती परिस्थिती एवं वर्तमान स्थिती में परिवर्तन इस बारें में जान सकेंगे।

munotes.in

- समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट एवं मोबाइल इन माध्यमों की हमारे जीवन में उपयोगिता कितनी है, कितनी आवश्यकता है। यह जानकारी प्राप्त होंगी।

- जनसंचार माध्यमों का विश्लेषणात्मक एवं विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे।

२.१ प्रस्तावना

मुंबई विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के हिन्दी साहित्य के 'जनसंचार माध्यम' पाठ्यक्रम की द्वितीय इकाई में विभिन्न जनसंचार माध्यमों का विकास एवं उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी का कहना महत्वपूर्ण है, वह कहते है, "मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। मतलब साफ है कि, जनसंचार माध्यमों अर्थात मीडिया एवं समाज दोनों साथ-साथ चलता है।

जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। मानव सत्यता के विकास में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान है। इस प्रकार जनसंचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्त्व शामिल हैं। जनसंचार माध्यमों का कार्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने आदि में भी उपयोगी साधन रहते है। अतः हम जनसंचार माध्यमों का विकास एवं उनकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे।

२.२ समाचारपत्र का विकास

जनसंचार माध्यम में समाचार पत्र का स्थान अग्रणी है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी - पत्र - पत्रिकाएँ या प्रिट मीडिया ही है। अखबार फारसी के खबर नामक शब्द का बहुवचन है। बंगला भाषा में अखबार को संवाद पत्र तथा वार्ता वहा के नाम से पुकारा जाता है।

मुद्रण कला का अविष्कार सन १४५० ई. में जर्मनी में आरंभ हुआ था। तबसे समाचार पत्र राष्ट्रों को गति देने, आगे बढ़ाने के कार्य में आवश्यक बन गया है। भारत में समाचार पत्रों की शुरूआत सन १७८० ई. में बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर के प्रकाशन से हुई। हिंदी में २० मई १८२६ को कलकत्ता से उदंड मार्तंड नामक पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्रों से पहला समाचार पत्र बनारस अखबार १८४५ ई. में निकला। तब से मुद्रित माध्यमों में गतिशिलता रही हैं। समय की माँग और पाठकों की रूचि के अनुसार दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्र - पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है। इनकी संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक घटनाक्रम तथा जीवन के बहुआयामी रूप के समाचार इन समाचारपत्रों में प्रकाशित होने लगी है।

समाचार पत्र को परिभाषित करने का प्रयास अनेक विद्वानों द्वारा हुआ है। भारतीय प्रेस ऐक्ट के अनुसार समाचार पत्र ऐसे नियतकालिक पत्र को कहते है, जिसमें सार्वजनिक समाचार होते हैं या उनसे संबंधित टिप्पणी प्राप्त होती है।

अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने समाचार पत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस कागज में सब लोगों के समाचार, जानकारी, घटनाएँ हो और जो बिक्री के लिए नियत स्थान पर छापा जाता हो, वह समाचार पत्र कहलाता है।

हिंदी भाषा के विकास में शुरूआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंद्रु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। जिन्होंने कई पत्रिकाएँ निकाली। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदनमोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के पहले के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में केसरी, हिन्दुस्तान, सरस्वती हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख है।

लेकिन जहाँ आजादी से पहले समाचार पत्रों का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। वहीं आजादी के बाद समाचार पत्रों का लक्ष्य बदलने लगा। शुरूआती दो दशकों तक समाचार पत्र का लक्ष्य राष्ट्र-निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखना था। लेकिन उसके बाद उसका लक्ष्य भटकने लगा और व्यावसायिक व प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादी से पहले समाचार पत्र का मिशन था लेकिन आजादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गया।

वर्तमान स्थिती में समाचार पत्रों का विकास तेज हुआ है। अब समाचार पत्र केवल कागजों पर ही नहीं नये नये मोबाइल, कम्प्यूटर, लॅपटॉप आदि पर उपलब्ध हो रहा है। हम घर बैठे एक क्लिक पर कौनसा भी समाचार पत्र पढ़ सकते है।

२.३ समाचार पत्र की उपयोगिता

जिस प्रकार मनूष्य को सुबह चाय – नाश्ते की, आहार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे आस-पास एवं पड़ोस, राज्य, दूसरे देश में क्या हो रहा है यह जानने के लिए, हमारे विचारों को दूसरों तक पहुचाँने के लिए समाचार पत्र की आवश्यकता है।

महात्मा गांधीजी ने समाचार पत्रों की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए कहा था कि, समाचार पत्र का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना हैं। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है। तीसरी बात यह है कि, सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करता है।

समाचार पत्र वह मुद्रित माध्यम है, जिसमें देश और विदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है समाचार-पत्र समाचारों के वाहक होते है। समाचारों का संबंध आज केवल दैनिक जीवन में घटित होनेवाली घटनाओं से ही नहीं है, अपितु ज्ञान और विज्ञान, सभ्यता और शोध संदर्भ की जानकारी प्रदान करने तक ढाला हुआ है।

समाचार पत्रों में सरकार की नीतियों की आलोचना होती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार आदि के समाचार भी दिए जाते है। इनसे मनोरंजन भी होता है। इनमें सारगर्भित लेख, कविताएँ, कहानियाँ, हास्य कथाएँ, चुटकुले आदि भी होते हैं। छात्रों की ज्ञान वृद्धि के लिए महान पुरूषों के जीवन-चरित्र तथा वैज्ञानिक अनुसधानाओं संबंधी लेख आदि भी होते है। समाचार पत्र में मुख्य बात यह रहती है कि संपादकीय लेख पढ़ने से चिंतन और मनन शक्ति बढ़ती है।

समाचार पत्रों की उपयोगिता विवरणात्मक है। समाचार-पत्रों से प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है। प्रत्येक वर्ग के अनुसार उसमें सामग्री होती है। नारी संस्करण नारियों के लिए लाभदायक है। उसमें गृहस्थी और नौकरी पेशा औरतों के लिए हर प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिल जाती

है। व्यापारी वर्ग इनके माध्यम से वस्तुओं के भाव में उतार-चढ़ाव जानकारी लेता है। वर्तमान स्थिती में समाचार-पत्रों की उपयोगिता अपने निजी जीवन की महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी अच्छी ढ़ंग से व्यक्त करता है, जैसे कि वैवाहिक विज्ञापनों के छपने से रिश्तों को ढूँढ़ने में सहायता मिलती है। नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को नौकरी के लिए जरूरतवाले स्थान मिल जाते हैं।

२१ वी सदी में समाचार पत्रों का उपयोग विभिन्न-व्यावसायिक तरिके से हो रहा है। समाचार पत्र में विज्ञापन देकर लोग अपनी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाते हैं। मौसम संबंधी जानकारी, खेल समाचार, भविष्यवाणी भी समाचार-पत्रों से प्राप्त होती है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम भी इसमें लिखे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मूल्य बहुत ही कम हो सकता है, जिसे गरीब आदमी भी खरीद सकता है और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। समाचार-पत्र पुराना हो जाने पर भी रद्दी के रूप में अपना मूल्य चुका देता है।

इस प्रकार समाचार-पत्रों की उपयोगिता हमारे जीवन में अनन्य साधारण है।

२.४ रेडियो का विकास

पत्र-पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह रेडियो है। रेडियो के अविष्कार का श्रेय इटली के इलैक्ट्रिकल इंजीनियर वैज्ञानिक जी मार्कोनी को है। लेकिन इसके स्वरूप विकास में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने यह धारणा प्रकट की थी कि किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकिय तरंगें फैलती है। इन्हीं चुंबकीय तरंगों को स्थानांतरित करने में सफलता पाई हेनरिक हर्ट्ज जी ने। आगे चलकर इसी तकनीक के आधार पर रेडियो – प्रसारण का कार्य आरंभ हुआ। २३ फरवरी १९२० को चेम्सफोर्ड की कंपनीने सर्वप्रथम विधिवत प्रसारण प्रारंभ किया।

भारत में डाक तार विभाग में टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से अगस्त १९२१ में एक संगीत कार्यक्रम का प्रस्तारण बंबई से किया गया। इसके बाद कुछ व्यक्तिगत रेडियो क्लबों द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास से प्रसारण सेवा आरंभ की गई। २३ जुलाई १९२७ को बंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई और इसी दिन से इसमें व्यावसायिक स्तर पर प्रसारण आरंभ किया। इसके बाद कलकत्ता में भी एक केंद्र खोला गया। १९३० में भारत सरकार ने प्रसारण का अधिकार और प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। ०८ जून १९३६ से इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। १९३५ में तत्कालीन देसी रियासत मैसूर में एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई। जिसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। १९५७ में ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी नाम घोषित कर दिया हया। तब से यही नाम प्रचलित है।

आजादी के बाद आकाशवाणी के विस्तार की लंबी योजना सरदार वल्लभभाई पटेल ने शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों की अवधि बढ़ा दी गई। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। १९५७ में व्यावसायिक प्रसारण के उद्देश्य से विविध भारती सेवा प्रारंभ हुई। जुलाई १९७७ में मद्रास में एफ. एम. ट्रांसमीटर शुरू होने से आकाशवाणी को एक नई दिशा मिली। आकाशवाणी की एफ.एम. सेवा १९३३ से शुरू हुई जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ इनसेट उपग्रहों के कारण तमाम आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे से जुड़ गए। जिनके द्वारा जानकारियाँ भी प्रसारित होती है।

भारत के नेशनल ब्रॉडकास्टर और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी जनता को सूचना देने, उन्हें शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सेवा प्रदान कर रही है, ऐसा करके यह वास्तव अपने आदर्श वाक्य -"बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय" को सार्थक कर रही है। प्रसारण की भाषाओं की संख्या के अनुसार आकाशवाणी दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के स्पेक्ट्रम में कार्य करती है। आज आकाशवाणी की घरेलू सेवा देश में ४२० स्टेशनों के द्वारा प्रसारण कर रही है। आकाशवाणी २३ भाषाओं और १४६ बोलियों में कार्यक्रमों को बनाती और प्रसारित करती है। इसकी पहुँच देश के ९२% क्षेत्र तक और जनसंख्या के ९९.१९% लोगों तक है।

इसका प्रसारण क्षेत्र देश के ८५% क्षेत्र और देश की ७६% आबादी तक है। वर्तमान स्थिती में स्थानिय स्टेशन ८६ है, ७६ एफ.एम. और १० एम. ब्लु इसके अलावा विविध भारती केंद्रो की कुल संख्या ३८ है, जिनमें एफ.एम. – २७ तथा एम. डब्लु का ११ है।

२.५ रेडियो की उपयोगिता

रेडियो की उपयोगिता वर्तमान सदी में भी बरकरार है। रेडियो कार्यक्रम जन उपयोगी और रोचक हो गए हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा सूचना का शीघ्र प्रसार करने में यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। रेडियो संचार का आसान और विश्वसनीय साधन है। रेडियो की उपयोगिता निम्नलिखित संदर्भो एवं बिंदूओं में देखी जा सकती है।

स्वास्थ एवं परिवार कल्याण की हितकारक जानकारी :

रेडियो के प्रसारण द्वारा स्वास्थ और परिवार कल्याण इकाई, स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम और बच्चों की आरोग्य सम्बधी महत्त्वपूर्ण जानकारी विशेष डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, स्वास्थ्य, घरेलू उपचार आदि संबंधी अनेक कार्यक्रमों द्वारा समाज में चेतना विकसित करने तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने में इन रेडियों कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंधविश्वास और कुरीतियों आदि के बदले वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करते हुए परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को नए युग के अनुरूप बदलने में इसके कार्यक्रमों की प्रेरक भूमिका होती है।

महिलाओं के सामाजिक एवं शैक्षणिक उद्यमों को जनमानस के सामने लाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका :

ऑल इंडिया रेडियो के महिला कार्यक्रमों के अंतर्गत वैज्ञानिक गृह प्रबंधन, महिला उधमिता, प्रौढ़ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लिंग संबंधी मुद्दों आदि के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित विषय शामिल है। विशेष कार्यक्रम लड़की के जन्म का स्वागत करने के लिए, सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे वर्ष में लड़कियों और बच्चों की स्थिति का महत्त्व प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम कानूनी साक्षरता के प्रचार के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने का भी लक्ष्य है। विभिन्न पारंपारिक लोक रूपों का उपयोग ग्रामीण महिलाओं के दर्शको के साथ संवाद के लिए किया जाता है।

कृषि और ग्रामीण जीवन में परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में मुख्य भूमिका :

रेडियो पर कृषि व किसानों तथा ग्रामीण जनजीवन से सम्बधित सभी तरह के कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण नित्य हो रहा है। महानिर्देशालय के खेत और गृह अनुभाग ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रोग्रामिंग गतिविधियों की निगरानी करता है जो विशेष रूप से हिंदी में ग्रामीण खेती समुदाय की दिन-प्रतिदिन की मौसमी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं / बोलियों में पूरे देश में १८८ से अधिक केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणीद्वारा १५ फरवरी को रेडियो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी स्टेशनों पर विशेष कार्यक्रमों के द्वारा किसानों, जो कि आकाशवाणी पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से फैली हुई जानकारी से लाभान्वित हुए है, उनको अपने क्षेत्रीय भाषा तथा बोलियों में अन्य साथी किसानों के साथ अपने अनुभवों को आज्ञा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये कार्यक्रम खेती अनुदाय की रोजगार की जरूरतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं जिसमें सब से अच्छा कृषि उत्पादनकता और देश के कृषि समुदाय की गुणवत्ता में सुधार के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करते है।

इस प्रकार रेडियों के द्वारा नित्य नये कार्यक्रम तैयार किये जाते है। अब प्रधानमंत्री द्वारा संचालित मन की बात के द्वारा श्री. नरेन्द्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इसमें वह प्रति माह में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपना मत व्यक्त करते है और जनता से इसकी राय माँगते। इस प्रकार से सर्वांगिण विकास में रेडियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

२.६ दूरदर्शन का विकास

आज टेलिविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियों की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते है तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। टेलीविजन ने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जीवनशैली ही बदल गई है। इस कारण हमारे समाज और संस्कृति में भी बदलाव आ रहा है।

टेलीविजन वर्तमान तकनीकी युग की महत्वपूर्ण देन है। तस्वीरों को प्रसारित करने की युक्ति १८९० से ही ज्ञात हो चुकी थी। १९०८ में कॅपवेल ने टेलीविजन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। २ नवंबर १९३६ को लंदन में बी. बी. सी. द्वारा नियमित दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। वैसे ध्वनिवाले दूरदर्शन का सार्वजनिक प्रसारण ब्रिटेन में सन १९३० में प्रारंभ हुआ। १९५३ में अमेरिका में सर्वप्रथम रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ किया गया। भारत में प्रथम प्रयोगिक दुरदर्शन केंद्र यूनेस्को की सहायता से १५ सितंबर, १९५९ को दिल्ली में शुरू किया गया। किंतु १५ अगस्त, १९५५ से ही भारत में नियमित रूप से एक घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हुआ।

पहले दिल्ली एक मात्र दूरदर्शन केंद्र था जो आकाशवाणी के अंग के रूप में काम करता था। १९७६ में चंदा समिति की सिफारिश पर दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग किया गया। इसी वर्ष दूरदर्शन ने अपने विज्ञापन जगत में प्रवेश किया। एशियाई खेलों में पूर्व १५ अगस्त, १९८२ को रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ। १९९३ मेट्रो चैनलों के साथ-साथ विदेशी चैनलों का आगमन हुआ। तब से आज तक दूरदर्शन ने एक लंबी यात्रा तय की है। अब तो उपग्रहों के

माध्यम से समूचा विश्व दूरदर्शन की पहुँच के भीतर है। विश्व के अनेक भागों के टेलीविजन चैनल भारत में सुलभ है। वास्तव में टेलीविजन वर्तमान संचारक्रांति का प्रमुख माध्यम है, जिसके द्वारा दुनिया भर की घटनाओं और गतिविधियों का सीधा प्रसारण संभ़व हो गया है।

टेलिविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों को बाढ़ आने लगी। अक्टुबर १९९३ में जी. टी. वी. और टी. वी. के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्युज नामक चैनल और अक्टुबर में आजतक स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। यहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इसमें यहाँ टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में २०० से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे है और रोज नए –नए चैनलों की बाढ़ आ रही है।

२.७ दूरदर्शन की उपयोगिता

आधुनिक युग में दूरदर्शन का महत्व अर्थपूर्ण है एवं महा उपयोगी है। इस संदर्भ में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पी. सी. जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की थी। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हो और नए न बन रहे हो, वहाँ दूरदर्शन बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अतः दूरदर्शन की उपयोगिता निम्न बिंदूओं के आधार से देखी जा सकती है।

सूचना का स्त्रोत :

टेलीविजन के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में घटनेवाली घटना का समाचार तुरन्त मिल जाता है। इसीलिए आज सम्पूर्ण विश्व एक ग्लोबल बन गया है। सूचनाओं के इस विस्फोट से अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी सम्भव हो सका है। इन सूचनाओं से जहाँ हमारे भीतर जागरूकता बढ़ी है वहीं विश्व मैत्री की भावना विकसित करने में भी टेलीविजन का महत्त्व रहा है।

मनोरंजन का माध्यम :

टेलीविजन के अधिकांश कार्यक्रम मनोरंजन प्रधान होते है। आज भी भाग दौड भरी जिन्दगी में मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम लोगों के तनमन की थकान दूर करके उनमें फिर से नये उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा जगाते है।

राष्ट्र के विकास कार्यो में दूरदर्शन की महत्त्वपूर्ण भूमिका :

वर्तमान युग में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर विकास कार्य हो रहे है। टेलीविजन इन विकास कार्यो की सूचना देनेवाला प्रभावशाली माध्यम है। इसके अतिरिक्त अविकसित क्षेत्रों की समस्याओं को भी प्रशासन के सामने उजागर करके वहाँ की समस्याओं को दूर कराने में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती।

जनजागरण की प्रेरणा :

विकासशील देशों में राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल दिया जाता है। विकास कार्यक्रम सामान्य जन के सहयोग पर निर्भर होता है और सहयोग के जनजागरण जरूरी होता है। ऊर्जा की बचत, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अछूतोद्धार, नारी शोषण से मुक्ति, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद या सम्प्रदायवाद की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण पैदा करने आदि की प्रेरणा देनेवाले टेलीविजन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना होता है। इसी तरह परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण में संतुलन के लिए वृक्षारोपण, राष्ट्रीय एकता, साक्षरता आदि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम जनजागरण की दृष्टि से उपयोगी होते है।

राष्ट्रहित और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा :

दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रहित की भावना पैदा करने तथा जनतंत्रीय मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने तथा संगठन की शक्ति का महत्व बतानेवाले कार्यक्रम भी इसपर प्रसारित होते हैं, इनके माध्यम से राष्ट्रप्रेम तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए लगन और बलिदान जैसी भावनाएँ विकसित की जाती है। भारत में दूरदर्शन का सूत्र वाक्य 'सत्यम शिवम सुंदरम' है। इसके लिए अधिकांश कार्यक्रम बहुजन हिताय होते है।

ग्रामीण विकास में सहायक :

भारतीय गाँवो में व्याप्त अभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास जातिवाद, पर्दा प्रथा आदि अनेक समस्याएँ है। इनका मूल कारण अशिक्षा और विकास कार्यक्रमों का गाँव तक न पहुँच पाना रहा है। इन विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्रामीण जनता को जागरूक करने की प्रेरणा दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में दी जाती है। अतः सामाजिक बुराइयों से मुक्ति पाने और जागरूक बनाने में टेलीविजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

शिक्षा प्रसार में उपयोगी :

दूरदर्शन पर शिक्षा के गुणात्मक कार्यक्रम उपयोगी साबित हो रहे है। शिक्षा के प्रसार संबंधी विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इनके माध्यम से कक्षा के शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। ये शिक्षकों की कमी दूर करनेवाले तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़नेवाले को लाभान्वित करनेवाले होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता :

टेलीविजन पर सबसे बड़ा आक्षेप यह लगाया जाता है कि यह अपसंस्कृति का प्रचार कर हा है लेकिन यह भी सत्य है कि अनेक भारतीय कला, संस्कृति सभ्यता तथा यहाँ के जीवनमूल्यों और विश्वासों को अभिव्यक्त करनेवाले तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़नेवालों को लाभान्वित करनेवाले होते हैं। अनेक धारावाहिकों में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के द्वंद्व को दिखाया जा रहा है।

munotes.in

इसी तरह टेलीविजन ने वर्तमान जीवन के लगभग् अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। सूचना, मनोरंजन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, सहकारिता सामुदायिक विकास, मौसम संबंधी जानकारी, राष्ट्रीय अतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, विज्ञापनों द्वारा व्यापार और उद्योग के विकास में योगदान आदि अनेक संदर्भ है, जहाँ टेलीविजन की उपयोगिता और महत्ता स्वयंसिद्ध हो जाती है।

२.८ सिनेमा का विकास

जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है – सिनेमा हालाँकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना का काम नहीं करता लेकिन व रोक्ष में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। फिल्म या चलचित्र मानव की गहन अनुभूतियों और संवेदनाओं को प्रकट करनेवाला अत्याधुनिक संचार माध्यम है। जिसमें रचनात्मक लेखन, दृश्य-कल्पना, मंच, निर्देशन, रूपसज्जा के साथ-साथ प्रकाश-विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन विज्ञान की तकनीक का उपयोग होता है।

प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्मों से सम्बधों में कहा है कि एक फिल्म चित्र है, फिल्म शब्द है, फिल्म ऑप्रेशन है, नाटक है, फिल्म नाटक है, फिल्म संगीत है, फिल्म एक कहानी है, फिल्म हजारों अभिव्यक्ति पूर्व दृश्य-द्रव्य आख्यान है।

यही तथ्य प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी ने भी प्रकट किया है। उनके अनुसार फिल्म कला वस्तुतः एक कला का नाम नहीं बल्कि अनगिनत कलाओं के समूह का नाम है।

सिनेमा आविष्कार का श्रेय थांमस अल्बा एडिसन को जाता है और यह १८३३ में सिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। १८९४ में फ्रांस में पहली बनी फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन है। लेकीन व्यावसायिक रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय ल्युमियर बंधुओं को है। १८९५ में प्रदर्शित ला एरो सियर एरो। विश्व की प्रथम काल्पनिक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। पहले मूक चलचित्रों को उद्‌बोधक की सहायता से दिखाया जाता था। १९२६ ई. में ध्वनी सहित चलचित्र बना।

भारत में १९१३ में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फीचर फिल्म बनी जिसके निर्माता दादा साहेब फालके थे। १९३१ में प्रथम सवाक् फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। चौथे –पाँचवे दशक की फिल्में जनसंचार का सबल माध्यम सिद्ध हुई इन फिल्मों की कथा संस्कृति अध:पतन का चित्रण कर सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा देनेवाली थी। १९३७ में आर्देशिर ईरानी ने रंगीन फिल्म बनाने का प्रयास किया। इसके बाद व्ही. शांताराम, सोहराव मोदी, सत्यजीत रे, विमल रॉय, राजकपूर और गुरुदत्त आदि की फिल्में मानवीय संवेदना को उकेरनीवाली थी। बाद में सार्थक सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा जैसे भेद किए गए। सार्थक सिनेमा में समाज को बदलने की गहन पीड़ा और आकुलता रही तो व्यावसायिक फिल्मे शुद्ध रूप में मनोरंजन प्रधान रही। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा है।

इस तरह हम कह सकते है कि सिनेमा जनमंच के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी है। यह मनोरंजन के साथ-साथ समाज को बदलने का, लोगों में नयी सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजुदा समय में भारत हर साल लगभग ८० फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश माना जाता है।

२.९ सिनेमा की उपयोगिता

जनसंचार माध्यमों में सिनेमा अत्यंत ही प्रभावी लोकप्रिय माध्यम है। जिसके द्वारा मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं और रूचियों को तो अभिव्यक्त किया ही जाता है। जनजागृति एवं मनोरंजन का भी यह एक सशक्त माध्यम है। इसकी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदूओं के आधार पर देखा जा सकता है।

समाज में जन-जागृती करने में उपयोगी :

फिल्मों में दिल दिमाग दोनों को आनंदित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जनजागरण के लिए इनका उपयोग अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह सभी लोगों के मन को झंकृत करती है। इसी कारण राष्ट्रीय एकता, अछूतोद्धार, नारी जागरण, अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष आदि अनेक संदर्भों मे जनसामान्य को जागरूक बनाने के लिए इसका सार्थक ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

मनोरंजन का प्रभावी साधन :

सामान्यतः फिल्मों का उपयोग मनोरंजन के लिए ही किया जाता है। दिनभर का थका हारा व्यक्ति अपने अवकाश के क्षणों में कुछ मनोरंजन चाहता है। अतः फिल्म द्वारा निर्मित एक अलग रंगीन दुनिया में डूबकर वह अपनी कठिनाइयों और दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। फिल्मों के दृश्य और संवाद मानव मनपर गहरा प्रभाव डालते है। इसकी इसी क्षमता के कारण यह एक सार्थक जनसंचार माध्यम माना जाता है।

संस्कृति के प्रसार का माध्यम :

संस्कृति के प्रसार की दृष्टि से भी फिल्में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा और साहित्य की तरह फिल्में भी सांस्कृतिक जीवन आदि को दर्शानेवाली फिल्मों का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल फिल्मों में पश्चिमी संस्कृति का खुलापन एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण आक्रमक रूप से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका भी मुख्य कारण फिल्में ही रही हैं।

जन सामान्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति :

फिल्मों में जनरूचि एवं जन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जनसमस्याओं को मूल आधार बनाया जाता है। जिन फिल्मों में सामान्य जन की भावनाओं को सार्थक अभिव्यक्ति मिली होती है, वे कलात्मक रूप में बहुत अधिक समर्थ न होने पर भी दर्शकों के बीच सराही जाती है।

राजनैतिक जनजागरण :

फिल्म का निर्माण अनेक राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों से प्रभावित होकर भी किया जाता है। गांधी के जीवन और उनकी कार्यशैली को आधार बनाकर अनेक फिल्में बनायी गई लेकिन आजादी के बाद के राजनेताओं ने गांधी के आदर्शों का प्रयोग दिखावे के रूप में अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पुर्ति के लिए करने लगे तो इन नेताओं को भ्रष्ट चरित्र को भी फिल्मों में प्रमुखता दी गई। पंजाब की आतंकवादी गतिविधियों हो या कश्मीर, गलवान या चीन की समस्या

munotes.in

या भारत-पाकिस्तान विवाद, इन पर अनेक सार्थक फिल्में बनी है, जिनमें मनुष्यता की चिंता प्रमुख रूप से उजागर हुई है।

प्रभावशाली जनसंचार माध्यम :

जनसंचार माध्यम के रूप में फिल्मों का महत्व इसलिए भी है कि ध्वनि और रंगों के समन्वय से दर्शकों में वास्तविकता का बोध सरस एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक चलनेवाली क्रियाओं को कम समय में अधिक प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। शताब्दियों का इतिहास अल्प समय में फिल्मों द्वारा दिखाया जा सकता है। पुराणों और ऐतिहासिक बातों का सम्यक ज्ञान भी इनके द्वारा प्राप्त करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त अतिशीघ्रता से घटित होनेवाली घटनाओं को धीमी गति से देखा जा सकता है। जैसे खेलों में समूची प्रक्रिया को धीमी गति से देखहर सीखने या निर्णय लेने में आसानी होती है।

इसके अतिरिक्त फिल्मों द्वारा जीवनशैली तथा भाषा एवं संगीत का प्रचार-प्रसार भी संभव होता है। इनके द्वारा प्रभावशाली ढ़ंग से अधिक लोगों तक विचारों और भावों को संप्रेषित किया जा सकता है। समाजसेवा, समाजकल्याण, आदर्श व्यवहार और नैतिक सदाचरण जैसी बातों को अनुकरण द्वारा सर्व ग्राह्य बनाने में फिल्में अत्यंत उपयोगी हो सकती है।

२.१० इंटरनेट का विकास

हाल ही के वर्षों में इंटरनेट का विकास इतनी तेजी से हुआ है कि पूरा संसार आश्चर्य चकित है। इंटरनेट सूचना क्रांति का वह माध्यम है, जिसकी शुरूआत सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने युद्ध संबंधी सूचनाएँ बनाने के लिए १९६९ में एक कम्प्यूटर नेटवर्क शुरू किया जिसका उद्देश्य सैनिक छावनियों के बीच संपर्क स्थापित करना था। इसे अप्रानेट (APRANET) नाम से जाना जाता है। बाद में इसी नेटवर्क के अंतर्गत एक ऐसा रिमोट पर्सनल मेल बॉक्स विकसित किया गया जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाने लगा। इसी का विकसित रूप ई-मेल हैं। बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अलग नेटवर्क शुरू किया। यहाँ की शैक्षिक संस्थानों को अत्याधुनिक शोधों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका की नेशनल साईस फाउंडेशन ने एन. एस. एफ. नेट.(NSFNET) नामक नेटवर्क स्थापित किया। इसी प्रक्रिया में विश्वव्यापी नेटवर्क इंटरनेट का प्रारंभ १९९१ में हुआ।

वर्तमान समय में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। हमारी सभी महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ इंटरनेट के जरिए होती है। अब इंटरनेट पर समाचार, क्रिकेट तथा मौसम कृषि आदि विभागों की नव-नवीनतम जानकारी रहती है। इसी के साथ हम घर बैठें रेल्वे, बस की जानकारी प्राप्त होती है। और हमारे देश की रक्षा – सुविधा भी इंटरनेट पर आधारित है। हवाई जहाज आदि का तिकिट आरक्षण कर सकते हैं।

२.११ इंटरनेट की उपयोगिता

२१ वीं सदी में ऐसा कौनसा क्षेत्र नहीं है की जहाँपर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। अब हमे किसी व्याख्यान, प्रवचन, धर्म-दर्शन को वहाँ क्षेत्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से लाईव दर्शन हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

सूचनाओं को शोध लेने में सहायक :

इंटरनेट के माध्यम से कई किसी भी विषय, विद्यापीठ, संगठन आदि के बारे में सूचनाओं को ढूँढने में सफल रहते हैं। जैसे हमारे शैक्षणिक सूचनाओं को अगर हमें ढूँढना है तो हम यूजीसी की वेबसाईट (www.ugc.ac.in) पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते है। इसी के साथ www.maha.gov.in, webpedia.com, msn.com, yahoo.com आदि किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई-मेल सेवाएँ :

इंटरनेट का उपयोग सामान्यतः ई-मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम विश्व में किसी भी व्यक्ति को ईलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकते है, बशर्ते उस व्यक्ति का ई-मेल आईडी रहना जरूरी है। इसमें समय की बचत के साथ-साथ आर्थिक बचत भी होती है। संदेशों का आदान-प्रदान करने के लिए यह एक उत्तम माध्यम है।

समाचार समूह :

इंटरनेट के माध्यम से न्यूज ग्रुप ई-सेवा है, जो बहुत से न्यूज ग्रुप संगठनों द्वारा होस्ट किया जाता है। कोई भी न्यूज ग्रुप का सदस्य बन सकता है और सामाजिक विषय और संदेश पढ़ सकते है और उसका आदान-प्रदान कर सकता है। न्यूज ग्रुप में रूचि के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं जिसमें शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औषधियाँ, कला, खेलकूद आदि शामिल होते है। यूज नेट ऐसा ही एक उदाहरण है।

वीडियों संवाद (वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग) :

टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम अलग –अलग स्थानों पर बैठकर एक-दूसरे से बातचीत करने में समर्थ होते हैं परन्तु वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में हम यह भी देख सकते है कि दूसरे छोर पर क्या हो रहा है। हमने देखा कि है कि एंकर, पेनलिस्टस और विशेषज्ञ विश्वभर में विभिन्न स्थानों पर बैठकर बहुत से न्यूज चैनलों में संवाद करते है और अपने विचार व्यक्त करते है। इसके लिए हमें वेब कॅमेरा, कम्प्यूटर सिस्टम से जुड़ा माइक्रोफोन, हाईबेंड विथ कनेक्शन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेअर की आवश्यकता होती है।

ई-कॉमर्स :

ई-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है, व्यापार का ऑनलाइन लेन-देन होता है। इसमें विक्रेता और ग्राहक लेन-देन विभिन्न भौगोलिक स्थानों में बैठकर करते हैं, जो इंटरनेट से जुडे होते है। ग्राहक को तपती गर्मी या भारी वर्षा में बाहर कई दुकानों में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठकर खरीदारी कर सकता है। इसके लिए उसे इच्छित ई-कॉमर्स साइट देखना है और ऑनलाइन क्रयादेश देना होता है। उदाहरण के तौर पर http://shopping.indiatimes.com

इस प्रकार इंटरनेट के अनंत उपयोग है।

२.१२ मोबाइल का विकास

मोबाइल फोन का विकास रेडियों से सम्बधित है। सन १९०८ में, अमेरिकी पेटेंट ८,८७,३५७ एक वायरलेस टेलीफोन को नाथन बी स्टब्लफील्ड मूर्रे, केंटकी के लिए जारी किया गया था। उन्होंने इस पेटेंट से "रेडियो टेलीफोन के निपात" का आवेदन किया था और सीधे सेल्यूलर टेलीफोन के लिए नहीं जैसा वर्तमान में समझा जाता है। उसके बाद AT &T के बेल लेबोरेटरीज के इंजिनियरों द्वारा मोबाइल फोन बेस स्टेशनों के लिए सेल का आविष्कार १९४७ में किया गया था और १९६० के दशक के दौरान बेल लेबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित किया। रेडियो फोन एक लंबा और विविध इतिहास है जो रेगिनाल्ड फेस्सेडेन के आविष्कार और रेडियो टेलीफोनी के पूरा प्रदर्शन तक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और १९५० के दशक में सिविल सेवाओं के दौरान सेना में रेडिया टेलीफोनी लिंक का उपयोग होता था, जबकि हाथ के सेल्यूलर रेडियो उपकरण १९७३ के बाद से उपलब्ध है। जैसे की हम आज जानते है, ओहायो, युक्लिड के जॉर्ज स्वेइगर्ट को १० जून १९६९ में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3449750 जारी किया गया था।

१९४५ में मोबाइल टेलीफोन की शून्य पिढी (0G) शुरू की गई थी। उस समय की अन्य तकनीकों की तरह एकल शक्तिशाली बेस स्टेशन शामील था, जो एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता था और प्रत्येक टेलीफोन प्रभावी रूप से एक चैनल को पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार करता था। यह सभी अवधारणाओं का पहला अवतार हैं जो मोबाइल टेलीफोनी में अगेल बड़े कदम, एनालॉग सेल्यूलर टेलीफोन के गठन का आधार बना। इसी प्रणाली के आधार पर सेल्यूलर प्रणाली से डिजिटल प्रणाली में अद्यतन इस पेटेंट को क्रेडिट देता है।

एक मोटोरोला अनुसंधानकर्ता और शासनात्मक, मर्टिन कूपर को व्यापक रूप से अनुवाहक सेटिंग में हाथ के उपयोग के लिए पहला व्यावहारिक मोबाइल फोन आविष्कारक माना जाता है।

१७ अक्टूबर १९७३ में रेडियो टेलीफोन प्रणाली में अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के द्वारा कूपर को अविष्काराक घोषित किया गया और बाद में अमेरिका को पेटेंट जारी किया गया। एक आधुनिक कुछ भारी वहनीय चोंगा का प्रयोग करके कूपर नें ०३ अप्रैल १९७३ को बेल लेबोरेटरीज के एक प्रतिद्वंदी डॉ. योएल. एस. एगेल को एक हाथ के मोबाइल फोन पर पहली कॉल कि थी।

१९७९ में NTT द्वारा जापान में पूरे शहर में पहला वाणिज्यिक सेल्यूलर नेटवर्क शुरू किया गया था। पूरी तरह से स्वंचलित सेल्यूलर नेटवर्क पर पहली बार १९८० के दशक के शुरू से मध्य तक 1G की पहली पीढ़ी शुरू हो गयी। डिजिटल 2G (दूसरी पीढ़ी) सेल्यूलर प्रौद्योगिकी पर पहला आधुनिक प्रौद्योगिकी १९९१ में फिनलैंड में रेडियोलिंजा द्वारा शुरू की गई थी। GSM मानक पर जिसने मोबाइल दूरसंचार में प्रतियोगिता की शुरूआत को चिन्हित किया जब रेडियोलिंजा ने अवलंबी दूरसंचार फिनलैंड को चुनौती दी थी। बाद में १९९९ में फिलीपींस में स्मार्ट और मोबाइल ऑपरेटरों ग्लोब फोन शुरू हुआ। मोबाइल फोन को बेची गई पहली सामग्री थी रिंगटोन, जो १९९८ में फिनलैंड में शुरू की गई थी। i मोड फोन पर पहली पूर्ण इंटरनेट सेवा थी जो NTT डोकोमाद्वारा जापान में १९९९ में शुरू की गई थी।

सन २००१ में 3G (तीसरी पीढ़ी) की पहली वाणिज्यिक शुरूआत फिर से जापान में NTT डोकोमा के WCDMA द्वारा मानक में की गई थी। इस प्रकार आज तक 4G, 5G, 6G मोबाइल का विकास निरंतर हैं।

२.१३ मोबाइल की उपयोगिता

- मोबाइल फोन टेक्नॉलॉजी को २० वीं सदी के महानतम अविष्कारों में गिना जाता है। आधुनिक युग में लोगों का नजदीकी रिश्ता नहीं बना होगा जितना मोबाइल से बन गया है।

- वर्तमान में मोबाइल फोन प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाने लगा है। सामाजिक दैनिक जीवन में यह उपकरण आवश्यकता एवं सुविधा का पर्याय माना जाने लगा है।

- रॉबिन जेफरे तथा अस्मा दोरज ने बताया है कि मोबाइल फोन ने सामान्य जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए है। व्यवसाय, राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्र में मोबाइल फोन कई जिज्ञासाओं का बहुत रोचक तरीके से शमन करती है।

दैनिक जीवन में मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में चर्चा करें तो हम देखेंगे कि आज ७९ फीसदी लोगों का सुबह एवं रात मोबाइल फोन से ही शुरू एवं अंत होती। मोबाइल के उपयोग अनंत है। लेकिन हम कुछ महत्त्वपूर्ण उपयोग की चर्चा यहाँ पर करेंगे।

मोबाइल फोन से बचत अलावा आर्थिक बचत भी होती है। घरपर ही बुकिंग सुविधा, विभिन्न भुगतान, संगीत, गणना, जानकारी, फोटोग्राफी, मनोरंजन, दूर-दराज के लोगों से संपर्क करना घर पर ही व्यवसाय का संचालन मोबाइल फोन से ही संभव हैं। दैनिक जीवन में मोबाइल फोन एक अतिआवश्यक संचार का उपकरण बन गया है। जो हमारी क्षमता जीवन को बातचीत के माध्यम से उजागर करता है। कई विकास के द्वारा मोबाइल फोन से ही खुलते हैं। मोबाइल फोन ही किसी अन्य संचार की तुलना में व्यक्ति की दिनचर्या में अधिक गहरे पैठ लगाया है। मोबाइल फोन के दैनिक जीवन में उपयोगिता पर अध्ययन किया गया और बताया है कि मोबाइल फोन घर हो या कार्यालय हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है।

मोबाइल फोन से भाषा सीखने के उपकरण भी है। मोबाइल फोन दैनिक में अनौपचारिक रूप से भाषा सीखने के लिए उपयोग किया जाने लगा है। घर पर ही खाली समय में नई भाषा का SMS के द्वारा संवाद के रूप में उपयोग करके कला को प्रभावी बनाया जा सकता है।

इस प्रकार मोबाइल फोन हमारे दैनिक जीवन में सीखने-सीखाने से लेकर आपात स्थिति में भी बहु-उपयोगी संचार उपकरण है। जो हमारी दैनिक जीवन को सरल एवं आसान बनाने के साथ-साथ हमें हमारी सामाजिक भूमिका निभाने में भी मदद करता है।

२.१४ सारांश

संक्षेप में हम कह सकते है कि जनसंचार मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र ने जनजागृती करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान के प्रमुख समाचार पत्रों में नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि पत्र-पत्रिकाएँ देश के सामाजिक, राजनीतिक विकास में जुडे हुए है।

जनसंचार माध्यमों में रेडियो का अविष्कार एक जनक्रांती का शंखनाद था। रेडियो ने विश्व एक गाँव की संकल्पना को साक्षात साकार किया। रेडियो की तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण महात्मा गांधीजी ने रेडियो को एक अद्‌भूत शक्ति कहा था। दूर-दराज के गाँवो में, जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियों ही एक मात्र साधन है।

जनसंचार माध्यमों से टेलीविजन की उपयोगिता और महत्ता स्वयंसिद्ध हो चुकी है। इसका सामाजिक जीवन में महत्व बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है हम इसका उपयोग किस तरह कर रहे हैं। अगर समुचित रूप से देखा जाए तो टेलीविजन एक वरदान साबित हुआ है।

सिनेमा/ फिल्मों के अविष्कार से हमारे जन जीवन को अधिक आनंदित किया है। जन जागरण के लिए इनका उपयोग अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह सभी उम्र के लोगों के मन को झंकृत करती है। इसी कारण राष्ट्रीय एकता, अछूतोद्वार, नारी जागरण, अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष आदि अनेक संदर्भो में जन सामान्य को जागरूक बनाने का कार्य किया है।

इंटरनेट के आने से हमारे जीने का तरिका ही बदल गया है। हम घर बैठे दुनियाभर में किसी से बातें करनी हो, विशिष्ट विषयों पर चर्चा करनी हो। इंटरनेट के जरिये से हम यह सब कर सकते है। यह ज्ञान का महासागर है। शोध से लेकर खरीद फरोश्त तक संसार का एक भी विषय ऐसा नहीं हैं जिसकी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध न हो।

मोबाइल के अविष्कार जनक्रांती आ गयी है। साथ ही अभुतपूर्व बदलाव जन-जीवन में आ गये है। मोबाइल के माध्यम से संगीत, संदेश से लेकर बँकिंग, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा आदि हमारे जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य हम कर सकते है। अतः निष्कर्षत कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्त्व रखता है।

२.१५ बोध प्रश्न

- जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
- समाचार पत्रों का विकास एवं महत्व स्पष्ट किजिए।
- जनसामान्य में क्रांति का संदेश लेकर रेडियों की भूमिका स्पष्ट किजिए।
- रेडियों का विकास एवं महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
- राष्ट्रीय जनजागरण हेतू सिनेमा के विकासक्रम को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
- इंटरनेट ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल की उपयोगिता सिद्ध कीजिए।

munotes.in

२.१६ उपयोगी पुस्तके

१) ई-जर्नलिज्म – डॉ. अर्जुन तिवारी

२) जनसंचार समग्र – डॉ. अर्जुन तिवारी

३) जनसंचार कल और आज – डॉ. मुक्तिनाथ झा

४) युद्ध ग्लोबल संस्कृत और मीडिया – जगदीश्वर चतुर्वेदी

५) टेलीविजन, संस्कृति और राजनीति - जगदीश्वर चतुर्वेदी

६) भारतीय आधुनिक शिक्षा – राजरानी (पत्रिका)

७) आधुनिक जनसंचार और हिन्दी – प्रो. हरिमोहन

८) संचार माध्यम लेखन – डॉ. गौरीशंकर रैणा

९) भाषा के विविध रूप और माध्यम – डॉ.शर्मा, प्रा.गोरे, प्रा.धुमाल

१०) जनसंचार विविध आयाम – डॉ.बृजमोहन गुप्त

❖❖❖❖

munotes.in

३

जनसंचार माध्यमों की भाषा

इकाई की रूपरेखा :

३.० उद्देश्य

३.१ प्रस्तावना

३.२ समाचार पत्रों की भाषा

३.३ रेडियो की भाषा

३.४ टेलीविजन की भाषा

३.५ सिनेमा की भाषा

३.६ इंटरनेट की भाषा

३.७ मोबाइल की भाषा

३.८ सारांश

३.९ बोध प्रश्न

३.१० उपयोगी पुस्तकें

३.० उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में जनसंचार माध्यमों की भाषा का परिचय देंगे।

- समाचार पत्रों की भाषा को जान सकेंगे।
- रेड़ियों की भाषा के बारे में जानकारी हासिल होगी।
- टेलिविजन की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- सिनेमा की भाषा के बारे में छात्र को जानकारी प्राप्त होगी।
- इंटरनेट की भाषा को छात्र जान सकेंगे।
- मोबाइल की भाषा के बारे में छात्र परिचित होंगे।

३.१ प्रस्तावना

समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए जनसंचार माध्यमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।जनसंचार के कारण ही दूर-दराज से संपर्क संभव हो पाया है।

munotes.in

जनसंचार मास कम्यूनिकेशन और मास मीडिया के रूप में प्रचलित जनसंचार और जनमाध्यम है। जनसंचार के मूलतः दो प्रकार है, परंपरागत जनसंचार माध्यम और आधुनिक जनसंचार माध्यम। परंतु जनसंचार के लिए भाषा महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन प्रवाह के लिए साँसे जरूरी है उसी प्रकार संचार के लिए भाषा आवश्यक है। संचार चाहे एक व्यक्ति से हो या अनेक से उनमें भाषा का होना अनिवार्य है। वैसे ही जनसंचार के लिए भाषा महत्त्वपूर्ण है। भाषा के बिना संचार असंभव है। भाषा पहला विकसित माध्यम है, जिसने जनसंचार की व्यवस्था दी। जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता में वृद्धि भाषा के कारण हुई है।

"रीवर्स पीटरसन तथा जेन्सन ने जनसंचार की विशेषता बताते हुए कहा है - जनसंचार - जनसाधारण के लिए होता है, विशेष वर्ग के लिए नहीं, जनसंचार अपना संदेश मुद्रित, दृश्य व श्रव्य जैसे साधनों से प्रकट करता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लोगों की प्रक्रिया का पता चलता है। इसके अतिरिक्त जनसंचार अल्पमूल्य का होता है। अर्थात सरकार या संस्था को तो व्यय करना पड़ता है, लेकिन जनता को बहुत कम खर्च करना पड़ता है। जनसंचार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकता है।"

माध्यम की दृष्टि से जनसंचार की दिशाएँ -

मुद्रित माध्यम - समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तके आदि।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम - रेडियों, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल आदि।

लिखित या दृश्य श्रव्यं माध्यमों से प्रसारित संदेशों - सूचनाओं की भाषा में अंतर दिखाई देता है। जिसे देखने और सुनते समय हम महसूस कर सकते हैं। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न माध्यमों में भाषा का स्वरूप अलग-अलग है। जिसका विस्तार से चर्चा करेंगे।

३.२ समाचार पत्रों की भाषा

समाचार पत्रों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते है। इन लेखों में लेखक की शैली तथा उसका व्यक्तित्व झलकता है, साथ में ही लेखक के विचार पाठक पर अपना प्रभाव छोड़ते है और अपना श्राव्य विशिष्ट वर्ग तथा विचारधारा स्थापित करते है, समाचार पत्रों में पाठकों के विचार भी उनके पत्रों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें पाठक अपने मत, प्रतिक्रिया को व्यक्त करते है और उन्हें अपनी भूमिका प्रस्तुत करने की पूरी आजादी होती है।

समाचार पत्रों का प्रकाशन जनमानस के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। प्रातः काल दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से देश - विदेश की सारी घटनाएँ सहज एव सुबोध भाषा में पढ़कर अपने ज्ञान का विकास करते है। इन समाचार पत्रों में मुख्य भूमिका समाचार संकलन कर्ता की होती है। समाचार संकलन व्यक्ति को संवाददाता कहते हैं, संवाददाता जो भी घटना घटित हुई है उसका विशेष चित्रण करता है। उसकी भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए ताकि जिस क्षेत्र में वह समाचार पत्र भेजा जाता है, वहाँ के लोगों को आसानी से समझ में आ जाएँ।

समाचार पत्रों के लिए सहज एवं सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें यह निरंतर ध्यान रखा जाता है कि समाचार पत्रों की भाषा ऐसी हो जिसे हर वर्ग के व्यक्ति आसानी से ग्रहण कर सके तथा उस भाषा रूप को समझ सके। इसके बावजूद वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर लिखे जाने वाले लेखों की भाषा स्वभावतः कुछ कठिन हो सकती है

munotes.in

क्योंकि इन विषयों को समझने के लिए पूर्व ज्ञान की भी आवश्यकता हो सकती है, समाचार पत्र की भाषा सर्वजनहिताय दृष्टि के अनुरूप होनी चाहिए। बीसवी सदी के पूर्वार्ध्द में संपादकों ने इसी मार्गदर्शिका सिद्धांत पर चलते हुए हिन्दी भाषा को संस्कारित किया।

समाचार के शीर्ष / शीर्षकों में "जागर में सागर" भरने का प्रयास किया जाता है। समाचार की भाषा में घटी हूई घटना का, सत्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है, इसमें संवाददाता के विचार तथा मत नहीं प्रकट किए जाते। समाचार की भाषा में पाठक वर्ग का मत बनाने का तथा समाज को प्रभावित करने की शक्ति होती है इसलिए समाचारों की भाषा में पारदर्शिता होना अपेक्षित है।

३.३ रेडियो की भाषा

रेडियो अपनी प्रकृति में मुद्रण माध्यम तथा श्रव्य - दृश्य माध्यमों से भिन्न है, अतः स्वाभाविक है कि उसकी भाषा भी प्रकृति में इन माध्यमों से भिन्न है। इस भिन्नता का मूल आधार उस भाषा का श्रव्य होना है। यानि, कहा जा सकता है कि रेडियो की अपनी भाषा है। इस भाषा का वैशिष्ट्य रेडियो लेखन में देखा जा सकता है। सबसे पहले हम रेडियो की भाषा को समझ ले।

तकनीकी दृष्टि से रेडियो ध्वनियों के प्रसारण तक सीमित है। लेकिन जब हम रेडियो को जनसंचार के साधन के रूप में देखते है तो सीमित शब्द उपयुक्त नहीं लगता। प्रसारण करने वाले के लिए अशरीटी अथवा निराकार ध्वनि कच्चा माल है। और यही तत्व रेडियो को जन-माध्यम की अतुलनीय शक्ति प्रदान करता है, यानी कल्पना लोक में प्रवेश करने तथा मन की आँखों में विभिन्न बिम्ब रचने की क्षमता। प्रोड्यूसर के पास ध्वनियों की विविधतामयी श्रृंखला रहती है यह उसका काम है कि वह रेडियों की भाषा में अनुदित करने के लिए सार्थ रूप में ध्वनि प्रतीक का चयन करें।

रेडियो की शब्दावली तीन तरह की सामग्री से निर्मित होती है। वाक (Speech), ध्वनिप्रभाव (Sound Effects Including Music) और मौन (Silence) अथवा चुप्पी।

यों तो वाक यानी वाणी, बिना ध्वनि प्रभावों के ही सूचना और विचार संप्रेषित करने में सक्षम है। लेकिन रेडियो पर इसका प्रयोग विशेष ढंग से करना पड़ता है। इसमें सरलता जरुरी होती है क्योंकि अमूर्त वाक्यांश जो किसी तरह का दृश्यात्मक बिम्ब नही जगाते वे हवा में अपना असर खो देते है। जटिल तर्क दुबारा पढ़े नही जा सकते यह सुविधा तो मुद्रित वाक्यों को बहुत समय लगातार पढ़ने और उनका अर्थ समझने में है। सरलता ही नहीं अपित श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए वक्ता को उतार-चढ़ाव या सुर (Pitch) ताल (Tempo) और स्वर (Tone) में विविधता लानी होती है। दूसरी तरफ तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने में एक कठिनाई है कि रेडियो वाणी की विलक्षणताओं के अतिरंजित कर देता है, लेकिन नाटक के लिए यह एक अच्छी चीज है। नाटक में ऐसा करने से चरित्रों का अंतर स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। उनके मनोभावूक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हो जाते है।

ध्वनी प्रभाव जब किसी कहानी का हिस्सा कहते हैं, तो वे शब्द का काम करते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की टिक-टिक के बाद पाँच बार घंटी बजती है तो वह एक पूरा वाक्य बन जाता है, कि पाँच बज गये। यानी उससे बिना किसी वाक्य के पाँच बजने की सूचना मिल जाती है। और जब किसी संवाद को उस ध्वनि से पहले अथवा बाद में बोल दिया जाता है, तो वाक्य पूरा हो जाता है, और क्यों? इस तरह हमारे मानस पटल पर एक स्पष्ट दृश्य बन जाता है। उदाहरण के लिए मेरे एक रेडियों नाटक में घड़ी की टिक-टिक के बाद बारह घंटे बजते हैं। एक स्त्री स्वर, बारह

बज गए... वे अभी नही आए... या बीच में ही, बच्चे के कराहने का धीमा स्वर। हलका सा उसे थपथपाने की ध्वनि और स्त्री स्वर सोजा बेटे, पापा आते ही होंगे, मुझे डॉक्टर को दिखा देंगे... चिन्ता मत कर जल्दी ठीक हो जाएगा।

इतने से ही एक दृश्य हमारे भीतर बन जाता है कि कोई माँ घर पर अकेली है, उसका बच्चा बीमार है। रात को बारह बज गए हैं, किंतू अभी तक उसका पति घर पर नहीं लौटा है।

रेडियो प्रसारण में भाषा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे अनपढ़ तथा शिक्षित लोग भी सुनते है। अन्य संचार माध्यमों की तुलना में रेडियो की उपयोगिता सबसे ज्यादा है।

इसलिए रेडियो के समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यदि भाषा जटिल और बोझिल होगी, तो कोई भी उसे ध्यान से नहीं सुनेगा इसलिए प्रसारण की भाषा सरल और सब तरह के श्रोताओं को समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि सरल भाषा को सामान्य तथा विद्वान निरक्षर तथा साक्षर और बच्चे तथा बड़े समान रूप से समझ लेते है। दूसरा कारण यह है कि प्रसारित संदेश मुद्रित सामग्री की भाँति नहीं होता। (जिसका कोई अंश समझ न आने पर पिछले पृष्ठ को पलट कर आप संदर्भ से जोड़ सके अथवा कठिन शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देख सकते है।) और न ही श्रोता इस स्थिति में होता है कि किसी विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श कर सके। एक बार जो वाक्य उक्ति अथवा शब्द प्रसारित हो गया वह हवा के झोंके की भांति आगे निकल जाता है। इसलिए रेडियो प्रसारण की बुनियादी आवश्यकता है भाषा की सरलता और सुबोधता।

३.४ दूरदर्शन की भाषा

हम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर समाचार देखते और सुनते हैं इन समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर देखें तो प्रतिदिन उनकी भाषा संरचना और शब्द प्रयोग में कोई-न-कोई गंभीर त्रुटि अवश्य मिल जाएगी। कई बार सह प्रयोग के स्तर पर भी असंगांत सुनने को मिल जाती है। टेलीविजन के प्रसार के कारण यह सही है कि हिन्दी को एक नया प्रसार क्षेत्र मिल रहा है। वह व्यापक रुप से समाज तक पहुँच रही है। लेकिन उसमें विकार भी आ रहे हैं। टेलीविजन ने हिन्दी के नाम पर एक नई ही हिन्दी को जन्म दे दिया है। इस हिन्दी को दूरदर्शनी हिन्दी कह सकते हैं। आज दूरदर्शन पर जिस हिन्दी का प्रयोग हो रहा है उस पर अनेको ने शोध कार्य किया है। तथा कुछ अभी भी कर रहे हैं। डॉ. कृष्णकुमार रत्रू ने हिन्दी भाषा के प्रयोग पर शोध कार्य किया है। उनका कहना है कि "दूरदर्शन की हिन्दी में... भाषा प्रयुक्ति में ज्यादातर अंग्रेजी और आँचलिक शब्दों का प्रयोग होता है। अपने इस शब्द को हम दूरदर्शन के विविध प्रसारणों में देख सकते है, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट प्रसारण जो प्रातः ६:५५ से लेकर ९.०० बजे तक होता है, इसमें कुछ दोष दूरदर्शन द्वारा की जाने वाली नकल का भी है जो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धी में अन्य विदेशी देशी प्रसारणों से करता है।"

भाषा के व्याकरणीय चौखटे में भले यह भाषा कहीं भी न टिकती है। परन्तु आज सच्चाई यह है कि आम बोल चाल और कामकाज की भाषा हिन्दी भाषा है, जो इन दिनों टेलीविजन स्क्रीन से प्रेषित हो रही है अथवा जिसका टेलीविजन द्वारा संप्रेषण हो रहा है।

munotes.in

हमें संचार माध्यमों की भाषा प्रयोग की स्थितियों पर ध्यान देते हुए, विशेष रूप से टेलीविजन में यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ भाषा से संगीत ताल भी जुडा रहता है। जैसे फिल्मों में मार-धाड़ संगीत के साथ होती है, एक लय में होती है उसी तरह वह दिन दूर नही जब फिल्मी दुनिया के संगीतमय मनोरंजक समाचारों की तरह अन्य राजनीतिक - आर्थिक सामाजिक, अपराधिक समाचार भी या दुर्घटनाओं के समाचार भी एक संगीत के साथ लययुक्त ढंग से सूनने-देखने को मिले।

संचार माध्यमों में हिन्दी अथवा किसी भी भाषा के एकदम मानक रूप के प्रयोग की वकालत नहीं कर रहे। लेकिन प्रयत्नपूर्वक अन्य भाषाओं के कठिन शब्दों या अप्रचलित शब्दों के ठूँसे जाने से सहमत नहीं है। कोई भाषा हो, उसमें प्रसारित कार्यक्रम उस भाषा के सहज रूप को लेकर चलने चाहिए। उस भाषा-भाषी समाज में जो भाषा बोली और समझी जाती है, उसी रूप का प्रयोग होना चाहिए। उसे उत्कर्ष की ओर ले जाने की चेष्टा तो वरेण्य है, विकृत करने का काम कभी स्वीकार नहीं हो सकता। अन्त में हम रुथ का एक कथन देना चाहेंगे जो संचार-माध्यमों पर भाषा के प्रयोग को छोड़कर टेलीविजन पर उसी भाषा के कार्यक्रम देने चाहिए, जो जहाँ पर कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, उस स्थान विशेष की भाषा हो, न कि वहाँ की मानक भाषा क्योंकि मानक भाषा से देखनेवाले को कुछ नहीं लेना-देना होता है। रेडियो ने शुरु से लेकर आज तक ऐसी भाषा ही अपनाई हैं परंतु आज की सामाजिक प्रतिबद्धता में कथाचित्र का महत्व तभी आएगा, जब उसमें आदमी के आम बोल-चाल की भाषा का प्रर्वतनीय बिम्ब विधान प्रयोजनमूलक के प्रयोग में स्थायी रूप से रहेगा।

संचार माध्यमों में हर माध्यम की अपनी अलग भाषा है। फिल्म और टेलीविजन के शब्द भी बोलते हैं, रंग भी, चेहरे भी, मौन भी और संगीत भी। टेलीविजन की भाषा के वैशिष्ट्य पर विचार करें। इसकी प्रकृति को आत्मसात किए बिना टेलीविजन लेखन असंभव है।

किसी भी बाह्य क्रिया-कलाप को जब टेलीविजन की भाषा में अनूदित किया जाता है, तो टेलीविजन प्रोड्यूसर को तत्काल कामचलाऊ ढंग से काम चलाना पड़ता है। फिल्म निर्माता से भिन्न, वह संरचना पर अधिक ध्यान नहीं दे पाता, यहाँ तक कि शॉटस का क्रम भी सोच-विचार कर नहीं रखा जा सकता। इसकी पूर्व कल्पना भले ही कर ली जाए। लेकिन ठीक उस परिकल्पना के अनुरुप वह संरचना वे शॉट्स नहीं बन पाते। उसका कच्चा माल तो वे वास्तविक शॉट स्वयं है। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम की गुणवत्ता बहुत-कुछ कैमरामैन की क्षमताओं एवं गति पर निर्भर करती है।

टी.वी. संपादक की विधि प्रायः फिल्म व्याकरण के अनुरुप होती है। उदाहरण के लिए वह मिश्रण आदि का प्रयोग कर सकता है, जो स्थान एवं काल के परिवर्तन को दर्शाने के लिए उपयुक्त है, इसी तरह वह फिल्म निर्माताओं की तरह शॉट्स को क्रमबद्ध रूप में लगाने के लिए लोग शॉट्स को मिट शॉट्स में या फिर क्लोजअप में बदल सकता है। जैसी उसकी आवश्यकता हो। कहने का अर्थ यह है कि फिल्म की भाषा का कोई ऐसा लक्षण नहीं जिसे वह न अपना सकता हो। यहीं तक कि कुछ निश्चित टिक्स वाले प्रभाव भी अपनाया जा सकता है, जैसे बिम्बों का अध्यारोपण पहले से तैयार किया जा सकता है।

टेलीविजन प्रोड्यूसर रेडियो की भाँति ही वाणी, ध्वनियों तथा मौन निःशब्दता का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। वह जीवन्त (यानी सीधे प्रसारण) तथा पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों, दोनों में माइक्रोफोन से आवाज ले सकता है या कट कर सकता है। उसी तरह जैसे

कैमरे से दृश्यों को हटा दे या ले लें। वह संगीत का भी यथानुकृत प्रयोग करता है। वह तस्वीर के महत्व को रेखांकित करने के लिए मौन का प्रयोग कर सकता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक लेखक को टेलीविजन लेखन के क्षेत्र में उतरना होता है। वह जो लिखता है (स्क्रिप्ट) तभी स्वीकार, जब उसमे दृश्यात्मक हो, उसमें लचीलापन हो संवादो में स्पष्टता हो और वे दृश्य के अनुकुल हों। उसे अपनी स्क्रिप्ट दृश्यों के अनुसार सीकवेंस में बाँटनी होती है।

सांराशत: टेलीविजन या फिल्म - लेखन के लिए लेखक और उसके निर्माता को तीन पर्यायों का ध्यान रखना आवश्यक है -

१) चलचित्र नाट्य-रचना या दृश्य रचना सिनेरियों ।

२) उस चलचित्र नाट्य के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर उनकी तस्वीरें लेना (शुटिंग)।

३) इन खण्ड-खण्ड रूपों में ली गई तस्वीरों को चलचित्र नाट्य के अनुसार पंक्तिबद्ध सहेजता या संपादन करना (एडिटिंग)।

३.५ सिनेमा की भाषा

आज सिनेमा भारतीय जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान बाँटने का एक उत्तम साधन माना जाता है। यह बात सही है कि टी.वी. की पहुँच हमारे निजी जीवन तक पहुँच चुकी है। लेकिन टी.वी. पर भी सबसे दिलचस्प कार्यक्रम फिल्म के ही होते है। ऐसा कोई क्षेत्र नही है जिसमें फिल्मों के लिए जगह नहीं है।

सिनेमा जनसंचार का सशक्त माध्यम माना जाता है। श्रव्य एवं दृश्य माध्यम होने के कारण सिनेमा लोगों के ह्रदय में गहराई तक है। अपनी छाप छोड़ता है। सिनेमा हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित गरीब हो या अमीर। सिनेमा हमारे देश में आजादी के पहले आ गया था। दादासाहेब फालके ने हमारे देश में सिनेमा का सपना देखा और उसको असाधारण तरीके से पुरा किया। भारत में पहले मुक सिनेमा बना करती थी, फिल्म आलम आरा से सिनेमा में ध्वनी आयी। लेकिन इसके पहले का सिनेमा मुकयूग कहा जाता है। जब संवाद सिनेमा बने तभी संवाद सार्थक हुए। यही से पटकथा और संवाद लेखक की भूमिका शुरु होती है।

पहली बोलती फिल्म आलमआरा १४ मार्च १९३९ में बंबई के सिनेमा हॉल में दिखाई गई। यह फिल्म हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में बनी उसके बाद आनेवाली अधिकतर फिल्मों की भाषा हिंदी ही रही। शुरुआती दौर में फिल्में देवी -देवताओं पुराणों ग्रंथो पर आधारित हुआ करती थी। उसके पश्चात ग्रामीण जीवन पर इस तरह की फिल्मों की भाषा अधिक तर हिन्दी ही हुआ करती थी। सामाजिक सुधार पर भी फिल्में बनी जिनकी भाषा अधिकतर हिंदी ही रही। १९४० में महबूब खान ने "औरत" फिल्म बनाई। जिसमें एक शहरी महिला के संघर्ष की कहानी दिखाई गई और उसके बाद में महबूब खान ने एक ग्रामीण महिला के संघर्ष, ग्रामीण परिवेश को दिखाते हुए फिल्म बनाई जो "औरत" की ही जिंदगी पर आधारित है। "मदर इंडिया" जिसकी भाषा भोजपुरी मिश्रित हिंदी थी। ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि की कहानी वाली फिल्मों में हिंदी और भोजपूरी मिश्रित भाषा का है। इसका कारण यह था कि बंबई तथा अन्य बड़े शहरों में बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए मजदूरों की संख्या अधिक थी। जो भोजपूरी भाषा ही बोलते थे।

१९८० के बाद हिन्दी सिनेमा की भाषा में बंबईया भाषा का कुछ कुछ भाग भी आने लगा। जैसे - क्या बोलती तु, क्या मैं बोलु जैसे गीतों की रचना होने लगी। जैसे-जैसे समाज बदला लोगों के विचार बदले। सिनेमा ने उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग किया।

हिन्दी सिनेमा ने भाषा के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को बड़े महत्व के साथ पेश करने को काम किया है। हम जानते है कि फिल्म और समाज के बीच एक बहुत प्रशस्त और गहरा रिश्ता है। जहाँ एक तरह फिल्में समाज में विषयों का चुनाव करती है वहीं दुसरी और समाज पर अपना प्रभाव भी डालती है। भाषा के बदलाव का जो स्वरूप सिनेमा के जरिये सामने आ रहा है वह किस हद तक सही है या यही भाषा हमारे जीवंत समाज और संस्कृति का मापदंड है और अगर नही तो हम सब को सिनेमा में भाषा के इस तरह के प्रयोग पर सोचना होगा। अगर इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग सिनेमा में हमेशा से है। बदलाव आता रहा है। लोगों तक पहुँचने का जरिया भाषा ही हैं; जो आम लोगों के लोकप्रिय हो और लोगों को समझ में आसानी से आ जाये।

३.६ इंटरनेट की भाषा

इंटरनेट साठ के दशक में उन दूरदर्शी लोगों की परिकल्पना का परिणाम है जिन्होंने सूचनाओं को परस्पर आदान-प्रदान के रूप में कंप्यूटर की अद्भूत क्षमता का पूर्वानुमान लगा लिया था। देश में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ना सामान्य व्यवहार के स्थान पर ई-मेल पर निर्भरता बढ़ने के रूप में सामने आया और समाचार पत्रों का स्थान इंटरनेट लेने लगा।

इंटरनेट के आगमन के पश्चात् कम्प्यूटर की उपयोगिता कई गुणा बढ़कर बहुआयामी हो गई है। मनुष्य की तुलना में कार्य करने की अद्भूत एवं तीव्रता के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसकी महत्ता सिद्ध हो चुकी है। विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को किसी सुंदर स्थान की सूचना शीघ्रता से प्राप्त कराने में इंटरनेट सक्षम है। अतः कहीं भी घटित का विवरण किसी दूर-दराज क्षेत्र में बैठे व्यक्ति को लगभग तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। इसकी न केवल गति तीव्र है बल्कि दृश्य-श्राव्य माध्यम होने के कारण सुबोध भी है। हाँ, यह अवश्य है कि साक्षर होना इसकी पहली और अनिवार्य शर्त है। संचार के कई अन्य माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए यह अनिवार्यता लागू नहीं होती। निरक्षर या अर्ध्द-शिक्षित भी उनका आनन्द ले सकते है। परंतु साक्षर होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कंम्प्यूटर साक्षर होना भी आवश्यक है।

विकसित देशों सहित संपूर्ण विश्व में आज तकनीक के क्षेत्र में भारतीय विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रह है। यह वैश्विकीकरण और बाजारवाद का परिणाम है कि तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में पहचान बनाने के बाद आगामी वर्षो में भारत एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने की और अग्रसर है। तकनीक की भाषा अग्रेंजी है। अतः अंग्रेजी का वर्चस्व इस क्षेत्र में बना हुआ है। दुनिया के संकुचित होकर ग्राम बनने की प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न देशों के बीच परस्पर एक-दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, भाषा आदि का आदान-प्रदान प्रारंभ हुआ। विश्व में विपुल साहित्यिक तथा साहित्येतर ज्ञान-विज्ञान का भण्डार उपलब्ध हैं। अतः इनके आपस लेन-देन में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। वस्तूतः किसी भी देश की सांस्कृतिक पंरपराओ, वैज्ञानिक अनुसंधानों वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियाँ, साहित्यिक मान्यताओं आदि से परिचित कराने में अनुवाद की अनिवार्यता सिद्ध होती है। हिन्दी की लिपि का कंप्यूटर के लिए उपयुक्त होना इसके लिए इस क्षेत्र में भी संभावनाओं के नए क्षितिज खोलता है।

भौतिकतावादी मानसिकता के कारण और जल्द से जल्द सबकुछ हासिल कर लेने की होड के कारण समाज में विकृतियाँ आई है। भाषा भी इससे प्रभावित हुई है। रूपात्मक और प्रयोगात्मक अशुद्धियाँ भी बढ़ी है। इंटरनेट का मुख्य कार्य है सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, वास्तव में वह सूचनाओं का समुद्र है। यह ऐसा आकाश है जो असीम है। इंटरनेट इस बह्माण्ड में उपस्थित लगभग समस्त विषयों पर जानकारी समेटे हुए है।

३.७ मोबाइल की भाषा

मोबाइल को फोन या मोबाइल कहा जाता है। यह एक लंबी दूरी का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जिसे विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल आवाज या डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं इन्हे सेल साइटों के रूप में जाना जाता है। मोबाइल फोन, टेलीफोन, के मानक आवाज कार्य के अलावा वर्तमान मोबाइल फोन कई अतिरिक्त सेवाओं और उपसाधन का समर्थन कर सकते है जैसे संदेश के लिए SMS, ईमेल, इंटरनेट के उपयोग के लिए, पैकेट स्विचिंग, गेमिंग, ब्लूटूथ, इन्फरा रेड, वीडियों भेजने और प्राप्त करने के लिए MMS, MP3 प्लेयर, रेडियों और GPS अधिकांश वर्तमान मोबाइल फोन, बेस स्टेशनों के एक सेलुलर नेटवर्क से जुड़ते है, जो बदले में सार्वजनिक टेलीफोन स्विचित नेटवर्क (PSTN) से जुड़ता है।

पिछले कुछ वर्षो में अभिजात्य वर्ग से मध्यम वर्ग और निम्न - मध्यम वर्ग तक के लोगों की पसंद बन गए है। गाँव-गाँव गली-गली में सरकारी और निजी क्षेत्र की टेलीफोन सेवा कंपनियों ने अपना जाल बिछाया हुआ है और सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। मोबाइल सेवा विशेष रूप से इतनी लोकप्रिय हुई है कि निम्न-माध्यम वर्ग तक भी इसने अपनी पैठ बनाई है और इस प्रकार टेलीफोन मोबाइल सूचना के सशक्त माध्यमों के रूप में उभरकर सामने आए है।

३.८ सारांश

संक्षेप मे हम कह सकते है कि जनसंचार माध्यमों की भाषा का विशेष महत्व है। यही भाषा मनुष्य के जीवन से जुडी हुई दिखाई देती है। वर्तमान समय में समाचार, रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल आदि माध्यम का ग्रामीण तथा शहरी भागों में काफी विस्तार हो चुका है। इसी लिए इन माध्यमों की भाषा किस तरह होती है तथा उसमें किस तरह से परिवर्तन आ जाता है, यह इन माध्यमों के माध्यम से दिखाई देता है।

भाषा का विकास लगातार हो रहा है। जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार होता है। उतना ही उसका विस्तार और विकास होता है। यहाँ जनसंचार माध्यमों की भाषा का विकास हुआ हैं तथा स्पष्ट किया है और इसे समाज तक पहुँचाने का प्रयास रहा है।

३.९ बोध प्रश्न

- जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्रों की भाषा पर प्रकाश डालिए ?
- रेडियो की भाषा का परिचय दीजिए ?
- सिनेमा की भाषा पर विस्तार से प्रकाश डालिए ?

- इंटरनेट की भाषा के बारे में चर्चा किजिए ?
- जनसंचार माध्यम में मोबाइल की भाषा पर विस्तार से प्रकाश डालिए ?
- मोबाइल की भाषा और सिनेमा की भाषा में क्या अंतर होता है, उसे स्पष्ट कीजिए ?

३.१० उपयोगी पुस्तकें

१. जनसंचार विविध अयाम – डॉ. वृजमोहन गुप्त

२. जनसंचार : कल और आज – डॉ. मुक्तिनाथ झा

३. जनसंचार – हरीश हरोड़ा

४. जनसंचार समग्र – डॉ. अर्जुन तिवारी

५. रेडियो लेखन – मधुकर गंगाधर

❖❖❖❖

munotes.in

४

संविधान : मौलिक अधिकार

इकाई की रूपरेखा

४.० उद्देश्य
४.१ प्रस्तावना
४.२ संविधान : मौलिक अधिकार
४.३ सारांश
४.४ बोध प्रश्न
४.५ उपयोगी पुस्तके

४.० उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में मनुष्य को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे |

- समानता का अधिकार की जानकारी प्राप्त होगी |
- स्वतंत्रता का अधिकार से छात्र परिचित हो जाएगे |
- शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे |
- धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से छात्र परिचित हो जाएगे |
- शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी के अधिकारो से छात्रों कों परिचय प्राप्त होगा |
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अध्ययन करेंगे और इसके रक्षा कवच को समझ सकेंगे |

४.१ प्रस्तावना

भारतीय संविधान भाग – III के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए है| विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकारों का समावेश किया है परंतु भारत देश के संविधान में मौलिक अधिकार अधिक व्यापक तौर पर दिए है|

४.२ संविधान : मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार को लेकर बात करते है तो उन अधिकारों कहा जाता है जो व्यक्ती के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार है| उसमें राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है| इस अधिकार को व्यक्ती अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है और इसके बिना व्यक्ति

munotes.in

अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता| इसीलिए मौलिक अधिकार मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण रहे जो संविधान के अंतर्गत दिए है | व्यक्ति के जीवन में पूर्ण नैतिक-भौतिक और व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अनिवार्य अधिकार माने गए है | इसे संविधान के अंतर्गत 'मौलिक अधिकार' के नाम जाना जाता है | यह संविधान के भाग – III के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए है | संविधान के भाग – III को भारत का अधिकार-पत्र भी कहा जाता है | इसी के साथ इसे 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा भी दी गई है | इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है की क्योंकि देश के संविधान में इसे स्थान दिया गया है | संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता| मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतू मूल रूप में आवश्यक होते है | इनके अभाव में व्यक्ती के व्यक्तित्व का विकास अवरुध्द हो सकता है | इन अधिकारों को उल्लंघन नहीं किया जा सकता | मौलिक अधिकार समाज के हर व्यक्ति को न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हुए है |

मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा मनुष्य को लागु किए जाते है और संविधान के द्वारा उसका संरक्षण भी किया जाता है| कानूनी अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा लागु किए जाते है| भारत के संविधान के भाग – III में कुल सात मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए थे| वे अधिकार निम्नलिखित है – १. समानता का अधिकार, २. स्वतंत्रता का अधिकार, ३. शोषण के विरुद्ध संबंधी अधिकार, ४. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ५. शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ६. संपत्ति का अधिकार और ७. संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि थे | परंतु सन १९७८ में ४४ वें संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ छह अधिकार रखे गए | इन अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया | इसे संविधान के भाग – XII में अनुच्छेद ३०० (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है | अब सिर्फ भारतीय संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है, जो इस प्रकार से है |

१) समानता का अधिकार

२) स्वतंत्रता का अधिकार

३) शोषण के विरुद्ध का अधिकार

४) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

५) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार

६) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

१) समानता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८) :

यह समानता का अधिकार अनुच्छेद १४ से लेकर अनुच्छेद १८ तक दिए है | यह अधिकार भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानुन का समान संरक्षण प्रदान करता है | धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य में भेद न करने का प्रावधान करता है | मनुष्य सार्वजनिक स्थानों का बिना किसी भेदभाव के

munotes.in

उपयोग कर सकते है | इस अनुच्छेद में बच्चों व स्त्रियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है | देश में पिछडे हुए वर्गों के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान के विशेष प्रबंध इस अधिकार के माध्यम से किए जा सकते है |

अनुच्छेद १४: इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून अर्थात विधी के समक्ष समतानता का अर्थ है भारत देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत देश की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा रहेगी| यह अनुच्छेद राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है|

अनुच्छेद १५: इस अनुच्छेद में किसी भी नागरिक के विरुद्ध अर्थात धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है| प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने का अधिकार है| समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए यह अधिकार अत्यंत उपयोगी है|

अनुच्छेद १६: इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को दर्शाया है| देश के सभी नागरिकों को किसी भी राज्य अधीन रोजगार तथा किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर प्रदान करता है| अर्थात रोजगार योग्यता और पात्रता के आधार पार प्राप्त होगा|

अनुच्छेद १७: इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत दिया है| भारतीय समाज में भेदभाव, घृणात्मक दृष्टि से देखा जाना और दुर्व्यवहार को झेलना आदि को दण्डनीय अपराध बना दिया है| सामाजिक स्तर को एक समान बनाने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है|

अनुच्छेद १८: इस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत दिया है अर्थात उपाधि देने पर प्रतिबंध लगाता है| स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज उपाधियों को बांट देते थे| इससे समाज के अंतर्गत भेदभाव निर्माण हो जाता था| इसी हेतु इस अनुच्छेद में उपाधि देना निषेध माना है|

२) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद १९ से २२) :

इस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है|

अनुच्छेद १९: इस अनुच्छेद में नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है | जो किसी के व्यक्तित्व के विकास तथा लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु अनिवार्य होता है | वे स्वतंत्रता हैं –

१) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |

२) शास्त्ररहित शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता |

३) संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता |

४) भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण एवं निवास की स्वतंत्रता |

५) संपत्ति को अर्जन, धारण और व्यय की स्वतंत्रता |

६) कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता |

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसे की राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के सह मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवसाय, सदाचार वा नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानी व हिंसा को प्रोत्साहन आदि ऐसे कारण है जिनके लिए इस अधिकार पर राज्य का कोई सदाशयतापूर्ण बंधन लगा राहता है, ये बंधन स्वेच्छाचारी न होकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होने चाहिये |

अनुच्छेद २०: यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को दोषी करार दिए जाने पर उसे सुरक्षा प्रदान करता है | किसी भी व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, या मनमानी गिरफ्तारी और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है |

अनुच्छेद २१: अनुच्छेद २१ में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता | यह अनुच्छेद हर भारतीय नागरिक को राज्य के स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है |

अनुच्छेद २२: यह अनुच्छेद व्यक्ति को गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण प्रदान करता है| उदा गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देनी होती है| गिरफ्तारी व्यक्ति को २४ घण्टे के भीतर नजदीक के न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है| वह व्यक्ति अपनी पसंद से वकील द्वारा बचाव कर सकता है |

३) शोषण के विरुद्ध का अधिकार (अनुच्छेद २३ से २४) :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २३ और २४ शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं| इस अधिकार में समाज के कमजोर, वंचित और अल्प सुविधा सम्पन्न वर्गों को शोषण होने से बचाना है |

अनुच्छेद २३: इस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक को प्रस्तुत किया है| किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता| परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करणे से नहीं रोकता है |

अनुच्छेद २४: भारतीय संविधान का अनुच्छेद २४ में जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक लागा देता है| इसका उल्लंघन करना कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध है | यह अनुच्छेद १४ से १८ वर्ष तक कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यो में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है |

४) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८) :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ से २८ तक भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्वातंत्र देता है| इसी कारण भारत धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पहचाना जाता है|

अनुच्छेद २५: इस अनुच्छेद में आस्था और प्रार्थना की आजादी दी है| समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अन्त:करण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी और वह कोई भी धर्म को मानने, उसका अनुसरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होगा, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गयी है| इसका उद्देश्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता|

अनुच्छेद २६: इस अनुच्छेद में हर धार्मिक संस्था को अपने सभी कार्यों का प्रबंधन करने तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति ग्रहण करने और उसका प्रशासन सम्भालने के अधिकार को मान्यता देता है| इसी के साथ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार भी देता है|

अनुच्छेद २७: इस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि अथवा उसके रख-रखाव में किए गए खर्च को कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा|

अनुच्छेद २८: इस अनुच्छेद में भारत के क्षेत्र तथा राज्य के कोष से पूर्णत: पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी| लेकीन यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका प्रशासन तो राज्य के पास है परंतु उसे ऐसे धार्मिक ट्रस्ट अथवा संगठनों ने स्थापित किया है, जो ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना चाहते है| जिन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहाँ उनकी देख-रेख पुरी तरह से राज्य के कोष में नहीं आती| ऐसी संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता|

५) शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार (अनुच्छेद २९ से ३०) :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २९ और ३० के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी के अधिकारों को दिया है| इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को विशेषता अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति , भाषा और लिपी को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है|

अनुच्छेद २९: इस अनुच्छेद में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपी तथा संस्कृति है वे सभी अपनी भाषा, लिपी और संस्कृति को बचाए रखने या सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है | इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता |

अनुच्छेद ३०: इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान किया है | शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ भेद-भाव नहीं करेगा |

६) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)

इस मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार का प्रावधान किया है| सभी मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण डॉ. बाबासाहब आबेडकर ने संविधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था| यदि इस अनुच्छेद को संविधान में से हटा दिया जाए तो संविधान शून्य हो जाएगा| इसी कारण भारत के संविधान में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने इस अधिकार को 'हृदय और आत्मा' का अधिकार माना है| इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए न्यायिक शक्ति की जरुरत थी| इसी हेतु अनुच्छेद ३२ में इस मौलिक अधिकार को प्रस्तुत किया है| उचित कार्यवाही के लिए न्यायालय पाँच प्रकार के आदेश अथवा निर्देश सरकार को दे सकते है| वे निम्नलिखित है –

१) **बंदी प्रत्यक्षीकरण:** अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ गिरफ्तार किए हुए व्यक्ती को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय यह परिक्षण कर सके की यह गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सहीं है या नहीं| अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई तो न्यायालय उसे मुक्त करने का आदेश दे सकती है| यह व्यक्ति के जीवन का नीजी मामला होने से उसके रक्षार्थ हेतु यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है |

२) **परमादेश :** अनुच्छेद ३२ में यह आदेश न्यायालय को ज्ञात हो जाता है की कोई विशेष अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है और या किसी अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों के अधिकारों पर आक्रमण कर रहा है |

३) **प्रतिषेध :** यह एक वरिष्ठ न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधिनस्थ न्यायालय को जारी किया आदेश है जो उसको अपने क्षेत्राधिकार से बाहर केस की सुनवाई न करने का आदेश देता है |

४) **उत्प्रेषण :** यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ लम्बित पडे किसी को सुनवाई को उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा दे सकता है ताकी वहाँ पर केस की प्रभावशाली ढंग से सुनवाई की जा सके |

५) **अधिकार पृच्छा :** इसमें न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर आसीन है अथवा ऐसे कार्य कर रहा जिनके लिए वह कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है तो न्यायालय उसे वह पद छोड़ने के लिए या कार्य न करने के लिए आज्ञा दे सकता है |

उपरोक्त अनुच्छेद को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद १९ के अंतर्गत दी गई सभी स्वतंत्रताएँ स्वत: ही स्थगित हो जाती है और इसके साथ ही ३५९ के तहत इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित कर सकता है | उसके बाद उल्लंघन की स्थिती में उपचार के लिये कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता और सभी मौलिक अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा स्थगित रहते है |

४.३ सारांश

संक्षेप में यह कह सकते है की भारत के संविधान भाग – III में प्रस्तुत मौलिक अधिकार मनुष्य के नीजी और सामाजिक जीवनयापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है | वह इसी अधिकारों के तहत देश में कही भी संचार कर सकता है, जीवनयापन गुजार सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है |

४.४ बोध प्रश्न

१) भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से है, उस पर विस्तार से प्रकाश डालिए|

२) मौलिक अधिकारों की चर्चा किजिए|

४.५ उपयोगी पुस्तके

१. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डॉ. प्रद्यूम्न कुमार त्रिपाठी

२. अधिकारों व कानूनों की जागरूकता – डॉ. पुखराज जैन, डॉ. अरुणोदय वाजपेयी

❖❖❖❖

munotes.in

५

सूचना का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

५.० उद्देश्य

५.१ प्रस्तावना

५.२ सूचना का अधिकार

५.२.१ सूचना की अवधारणा

५.२.२ सूचना के अधिकार से सूचना पाने का अधिकार

५.२.३ सूचना को प्रकट किए जाने से छुट

५.२.४ सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें

५.२.५ पदावधी व सेवाशर्ते

५.२.६ सरकार का दायित्व

५.२.७ सूचना के अधिकार की उपयोगिता

५.२.८ लोकतंत्र का पांचवा खंभा

५.२.९ सूचना के अधिकार की सीमाएँ

५.३ सारांश

५.४ बोध प्रश्न

५.५ उपयोगी पुस्तके

munotes.in

५.० उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में विद्यार्थियों को सूचना का अधिकार क्या है उससे परिचित कराना है | साथ ही सूचना अधिकार का विस्तार से अध्ययन करने के बाद छात्र को बेहतर नागरिक बनने में मदद होगी |

५.१ प्रस्तावना

सन १९७५ आजादी की दुसरी और लोकतंत्र की पहली लडाई का प्रतीक था| सन १९४७ के बाद हमारे नीति-नियंताओं ने लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जिन संस्थाओं कि रचना की थी, उन्हें हम अंतिम सत्य मान चुके थे| लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कोई निर्वाचित सरकार कभी समाप्त भी कर सकती है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था| सन १९७६ में आपातकाल की घोषणा के बाद पहली बार स्वीकार किया गया की लोकतंत्र को हमेशा सुरक्षित रहने वाली संस्था नहीं माना जा सकता| जनता द्वारा चुनी गई

सरकार भी उसी संविधान की दुहाई देकर लोकतंत्र का गला घोंट सकती है, जिस संविधान पर सभी भारतीय को गर्व है| आपातकाल विरोधी संघर्ष को इसिलिए आजादी की दुसरी और लोकतंत्र की पहली लडाई माना गया है| सन १९७७ के बाद लोकतंत्र को लेकर हर स्तर पर नए सिरे से सोचने का सिलसिला प्रारंभ हुआ| तंत्र की पारदर्शिता और मतदाता के प्रति सरकार की जवाबदेही जैसे मामले केंद्रीय चिंता का विषय बने| सूचना के अधिकार के साथ भी ऐसा ही हुआ| सन १९७७ के पहले गैर–सरकारी संगठनो और कुछ पत्रकार संगठनो ने इस अधिकार की मांग जरूर उठाई थी| परंतु सरकारी स्तर पर ऐसी मांग सन १९७७ के बाद उठानी शुरू हुई|

इसी के साथ सूचना का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है| इस अधिकार का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और जवाबदेही को बढाना है| आजादी के अठ्ठावन वर्षों के बाद मिले इस अधिकार का महत्व किसी भी रूप में मौलिक अधिकार से कम नहीं है| लेकिन इस सार्थक पहल का लाभ आम जनता कैसे उठाते है और इससे उनके जीवन में कितना परिवर्तन होता है, ये भविष्य के गर्भ में छुपे कुछ अहम सवाल है| पर एक बात तो साफ है की औपनिवेशिक विरासत में प्राप्त गोपनीय कानून के नाम पर भोले-भाले आम जनता को ठगने वाले नौकर शाह, नेता, समाजसेवी आदि अपनी जवाबदेही के प्रति चौकन्ना जरूर रहेंगे| इसीलिए सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में स्थापित होना आवश्यक है|

५.२ सूचना का अधिकार

५.२.१ सूचना की अवधारणा :

सूचना के पर्याय कथन और संज्ञापन है। सूचना अभिव्यक्ति ज्ञान, परिधान, संसूचना, समाचार हैंडबिल का समानार्थी है। इसका तात्पर्य आंगाही इत्तला, खबर, जानकारी, विज्ञप्ति और परिज्ञान है। संसूचना के अंतर्गत अभिसूचना, आख्याति कम्यूनिकेशन, ज्ञप्ति, विज्ञप्ति, संज्ञाप्ति आते हैं। सूचना में व्यक्तव्य का महत्वपूर्ण स्थान है जिसका अर्थ कथन, बयान, वस्तृतः स्टेटमेंट होता है। घोषणा भी सूचना का अंग है जिसका अर्थ अधिसूचना अनाउन्समेंट, आध्यापन, उद्घोष ऐलान होता है। मुनादी भी सूचना ही है जिसमें उद्घोषणा, आनखबर ऐलान-ए-आम जन-सूचना, डुग-डुगी, डौंड़ी ढिंढ़ोरा तथा सार्वजनिक सूचना सम्मिलित है। इसमें कोई भी रिकार्ड, दस्ताऐवज, मेमो, ई-मेल सुझाव, मत सम्मत, प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र, आदेश लॉग बुक, करार दस्ताऐवज, रिपोर्ट, पत्रक प्रारुप तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपलब्ध आकड़े ही सूचना हैं। सूचना का महत्व स्वयं-सिद्ध है। आज का समाज Information haues और information Haues Not सूचना समृद्ध और सूचना दरिद्र इन दो भागों में बटाँ हुआ है।

५.२.२ सूचना अधिकार से अधीन निम्नलिखित सूचना पाने का अधिकार

१) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।

२) दस्तावेजों या अभिलेखो के टिप्पण उदाहरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

३) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

४) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियों कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति भंडास्ति है, अभिप्राप्त करना।

उपर्युक्त सारी सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा आप पा सकते हैं। इसमें बीस वर्ष पूर्व की सूचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा आवेदक को सूचना दी जाती है मगर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी।

५.२.३ सूचना को प्रकट किये जाने से छूट

१) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी संबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने की उत्तेजना होती हो।

२) जिस सूचना को न्यायालय ने प्रकाशित करने के लिए मना किया है, या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता है।

३) जिस सूचना के प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकारों का भंग होता हो।

४) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा ऐसी सूचनाएँ।

५) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

६) सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या सुरक्षा प्रयोजन या विधि प्रर्वतन के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान हो।

७) सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़े।

८) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है जिससे व्यक्ति की एकातंता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथा स्थिति, संसद या किसी विधानमंडल को देने से इकांर नहीं किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को इकांर नहीं किया जा सकेगा।

९) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिससे मंत्रि परिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है। परंतु विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराएँ जाये।

इस तरह उपर्युक्त कारणों से सूचना देने के लिए सूचना अधिकारी इन्कार कर सकता है लेकिन आवेदक को सूचना देनी पड़ती है कि जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती है। और साथ में यह भी आवेदक किसके पास अपील कर सकता है।

५.२.४ सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें -

१) यह अधिकार देश के किसी भी नागरीक को प्राप्त होगा।

२) न्यायालय, विधानमंडल, पब्लिक सेक्टर नगरीय निकाय, पंचायत जैसी सभी संस्थाएँ (जो संविधान के अंतर्गत बनीं है) जानकारी देने के लिए बाध्य होगी।

३) कोई भी विभाग इसके लिए निर्धारित १७ बिन्दुओं पर जानकारी तैयार रखेंगे।

४) उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम अवधि ३० दिन (कार्यदिवस) होगी।

५) आवेदक यदि जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र को भरने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव करता है अथवा असक्षम है, तो सूचना के अधिकार को उसकी मदद करने के लिए भी विशेष रूप से इस कानून में मदद करने की बात समाहित है।

munotes.in

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है और उसे जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धात पर आधारित है। शासन-व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। परंतु पिछले काफी समय से नागरिकों की सहभागिता केवल मताधिकार का प्रयोग तक ही सीमित होकर रह गयी है। इसके पीछे आवश्यक सूचनाओं के अभाव में नागरिकों की निष्क्रियता एक प्रमुख कारण रहा है।

संविधान की यह मान्यता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की इच्छा व आकांक्षा के अनुरुप संविधानसम्मत शासन व्यवस्था का संचालन, नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करें कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार शासन को ग्राम स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक जवाबदेह होना आवश्यक होता है ताकि सार्वजनिक धन के माध्यम से जनकल्याण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। वर्तमान समय में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग गबन और लापरवाह उपयोग के चलते यह धारणा बहुत हद तक झूठी होती चली जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए जरुरी है कि सार्वजनिक मामलों में संपूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। इससे सार्वजनिक धन को सावधानी से प्रयोग करने का दबाव बनेगा।

५.२.५ पदावधी और सेवाशर्ते

मुख्य्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकेगा और पुनर्नियुक्ती हेतु पत्र नहीं होगा| परन्तु वह पैंसठ वर्ष आयु पूरी कर लेने के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकेगा|

५.२.६ सरकार का दायित्व

सरकार का यह दायित्व है कि वह वित्तीय तथा अन्य स्त्रोतों की उपलब्धता के अनुरूप लोगों की समझ बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम को या प्रायोजित करें| विशेषरूप से असुविधायुक्त संप्रदायों में इस अधिनियम का प्रचार करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी|

आवश्यकतानुसार सरकार को चाहिए की वह नियमित अन्तराल पर सूचना अधिकारियों के दिशानिर्देश को अपडेट करें और प्रकाशित करें|

५.२.७ उपयोगिता

सूचना-अधिकार अधिनियम ने बहुत कम समय में अपने उद्देश्य की ओर कदम बढाया है| देश में जन-जागृति पैदा करने का अभूतपूर्व कार्य इस अधिनियम ने किया है| कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनकी उपयोगिता को समझा जा सकता है| दिल्ली की झुग्गी (झोपडपट्टी) में रहने वाली त्रिवेणी को सरकार की ओर से अन्त्योदय कार्ड मिला था| इस कार्ड-धारक को दो रुपये प्रतिकिलो गेहूँ और पाँच रुपये प्रतिकिलो चावल मिलना चाहिये था, परन्तु उसके राशन की दूकान से गेहूँ के लिए प्रति ०५ रु. और चावल के लिए प्रति १० रु. लिये जाते थे| जब उसने सूचना के अधिकार के लिए आवेदन किया तो उसे पता चला कि उसके कार्ड पर रु. ०२ की दर पर २५ किलो गेहूँ तथा रु. ०३ की दर पर १० किलो चावल दिया जा रहा था| आश्चर्य यह कि पढी-लिखी त्रिवेणी के हस्ताक्षर की जगह अँगुठे का निशान लगाया गया था| जब उसने दुकानदार से इसपर बहस की तो वह डर कर क्षमा माँगने लगा और उसे हर महीने उचित दाम पर राशन मिलने लगा|

मुंबई के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने आयकर विभाग में अटके पडे रिफंड के संबन्ध में जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया तो उनके सभी केसों का निवारण तुरन्त कर दिया गया| इतना ही नहीं इस अधिनियम का आधार लेकर मुंबई के प्रतिष्ठित इलाके की आदर्श इमारत को सम्बन्ध में आवेदन करने पर जब सच्चाई सामने आयी तो सबकी आँखे खुली रह गयीं| इतना ही नही जो प्रशासक इमानदारी की तहमद आँढे हुए थे उनका पर्दाफाश हुआ और बडे बेआबरु होकार तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर उन्हे अपने पद को छोडना पडा|

५.२.८ लोकतंत्र का पाँचवा खंभा :

सूचना के अधिकार अधिनियम के सक्रिय होने से उत्पन्न जनजागृती के परिणाम स्वरूप सरकारी तंत्र की अनूशासनहीनता पर अंकुश लगना आरंभ हो चुका है| इस तरह इसे लोकतंत्र के पाँचवे खंभे के रूप में देखा जाने लागा है| इसका उपयोग आम जनता के साथ पत्रकारिता से जुडे लोग भी कर रहे है, जिससे उसमें प्रामाणिकता का विकास हुआ है और जनता के लिए निर्धारित मदों के दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल करने में कभी उपयोगी रहा है|

इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायपालिका को लाने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों को न्याय देने की जगह भी पारदर्शी बन सके| यह आवश्यक भी है क्योंकि एक निजी टी.वी. चैनल ने जब मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन के दक्षिण आफ्रिका के १२ दिवसीय दौरे की जानकारी माँगी तो पता चला कि महोदयने दिल्ली-दुबई-जाहांसबर्ग-नेल्सप्रिंट-केपटाऊन-जोहांसबर्ग और विक्टोरियाफाल्स के रस्ते अपना दौरा पूरा किया था|

५.२.९ सीमाएँ

प्रत्येक वस्तू और नियम का श्वेत श्याम पक्ष होता है| सूचना का अधिकार अधिनियम भी इससे अछुता नहीं है| वस्तुत: यह अधिनियम जनहीत में लाया गया है, परन्तु कुछ लोग इसका इस्तेमाल अप्रासंगिक कारणो से भी करने लगते है| कुछ उदाहरण देकर इसे हम समझ सकते है| एक उपभोक्ता ने एक बैंक में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह आवेदन किया है उसके नाम की वर्तनी (स्पेलिंग) सुधारने में पंद्रह दिन का जो समय लगा उस दौरान फाईल किस-किस अधिकारी के टेबल पर गई और उसपर कार्यवाही कितने दिनों में की गयी? जानकारी प्राप्त करना मनुष्य का मुलभूत अधिकार तथा स्वभाव है| यदि जानकारी जनहित में या अपने हुए अत्याचार के विरोध में हो तो ठीक है, लेकीन गैरजरुरी जानकारी प्राप्त करने हेतु इस अधिनियम को आधार बनाना इसकी सीमा ही कही जाएगी|

इस अधिनियम ने पूरे समाज में एक नयी हलचल पैदा कर दी है परन्तु इसे अभी और आगे तक जाना है क्योंकि लगभग १० प्रतिशत जनता अब भी इसकी गंभीरता से अनभिज्ञ है| केवल बुद्धिजीवियों तक के सीमित दायरे से निकलकर यह जब आम आदमी का हथियार बन जाएगा, तब इसकी सच्ची उपयोगिता सिद्ध हो पाएगी| हमारा दायित्व है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुँचाएँ| हाशिए पर के आम आदमी के भीतर भी हिम्मत पैदा करनी होगी कि वह इस कानून का उपयोग कर अन्याय तथा भ्रष्टाचार से मुकाबला कर सके| सूचना के अधिकार ने स्वतंत्र भारत देश में एक नयी सुबह की उम्मीद जगायी है, और अत्याचार के अंधेरे को दूर करने हेतु खिडकी खोलने की आवश्यकता है| ताकि नयी सुबह की रोशनी से प्रकाश और उर्जा दोनों मिल सके|

५.३ सारांश

सूचना स्वयं एक विकासात्मक पहलू है| इसके ऐतिहास को हम नकार नहीं सकते| वर्तमान परिवेश में आज भी सूचना के अधिकार की आवश्यकता है और उम्मीद है| भविष्य में यह अधिकार और मजबूत बने| विश्व से सबसे बडे लोकतांत्रिक देश भारत में देर से सही इस अधिकार को सरकार और सदन ने समझा और उसे पारिस किया को आज एक महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार के नाम से हमारे सामने है| यह सूचना वह शक्ति है जिससे किसी भी व्यक्ति, समाज और देश को एक नई रफ्तार मिलती है| और जब कोई लोकतंत्र किसी सामाजिक व्यवस्था की चेतना पर सवार होती है, तब सूचना के महत्व का दायरा अपने-आप और भी बढ जाता है|

५.४ बोध प्रश्न

- सूचना की अवधारणा की चर्चा कीजिए?
- सूचना के अधिकार उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए?
- सूचना का अधिकार को लोकतंत्र का पाँचवा खंभा क्यो कहा जाता है, उसे स्पष्ट करों|

५.५ संदर्भ ग्रंथ

१) प्रेस विधि एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य – डॉ. हरवंश दीक्षित

२) भारतीय संविधान के प्रमुख तत्त्व – डॉ. प्रद्युम्नकुमार त्रिपाठी

३) आधुनिक पत्रकारिता – अर्जुन तिवारी

४) प्रयोजनमूलक हिन्दी – डॉ. विनोद गोदरे

५) जनसंचार और पत्रकारिता – डॉ. अर्जुन तिवारी

६) सूचना का अधिकार – विष्णू राजगढ़िया अरविंद केजरीवाल

७) अधुनातन प्रयोजनमूलक हिन्दी – अंबादास देशमुख

८) प्रयोजनमुलक हिन्दी – डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित

९) जनसंचार माध्यमों में हिन्दी – चंद्रकुमार

१०) पत्रकारिता एक परिचय - डॉ. प्रभु धवन

११) मिडिया – श्रीश. चंद जैसवाल (पत्रिका)

❖❖❖❖

munotes.in